Par. S. 17. 1. 18. 52
285

अंक १

संख्या १८

बुधवार

११ जून १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १०९९—११४१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ११४१—११५०]

(मूल्य ४ आने)

लोक सभा

बुधवार, ११ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास

*६९९. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **रक्षा** मंत्री १४ मार्च, १९५१ का पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१८२ का निर्देश कर के और यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या संयुक्त अन्तरालेय इतिहास विभाग द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का लोक प्रिय इतिहास तैयार किये जाने के कार्य में कुछ और प्रगति हुई है; तथा

(ख) इस को कितने अंकों में प्रकाशित करने का विचार है और अब तक कितने प्रकाशित हो चुके हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) तथा (ख) । ९० प्रति शत लेखनकार्य पूरा हो चुका है (कुल ३० में से २८ प्रबन्ध लिखे जा चुके हैं ; साथ ही स्वास्थ्य विषयक ७ अंकों में से ६ लिखे जा चुके हैं) । दो अंक प्रेस को भेजे जा चुके हैं और शेष परीक्षण की विभिन्न स्थितियों में हैं । आशा है कि एक वर्ष में अधिकांश कार्य समाप्त हो जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या इन इतिहासकारों के लेखन-कार्य की जांच करने के लिये कोई समिति है या इतिहास लिखना पूर्णतः व्यक्तिगत इतिहासकारों के ही ऊपर छोड़ दिया गया है ?

श्री गोपालस्वामी: रक्षा-सचिव की अध्यक्षता में एक समिति है और कई इतिहासकार उन की सहायता करते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: पिछली बार १४ मार्च को इस सदन में इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया था और हमें बताया गया था कि एक अंग्रेज ने पहला अंक लिखा है और वह दूसरा अंक लिखने में संलग्न है । यह आरोप लगाया गया था कि उन के मन में कुछ भारत विरोधी पक्षपात है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने और कुछ लिखा है ?

श्री गोपालस्वामी: मैं ऐसा नहीं समझता । मैं समझता हूं कि इस समय लेखन-कार्य से उसे कुछ प्रयोजन नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह: पिछली बार हमें बताया गया था कि वह एक उपन्यास भी लिख रहे हैं । यह सदन में बताया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस पर ध्यान रखेगी कि वह भारत

के विरुद्ध कुछ न लिखे । मैं जान सकता हूं कि क्या कोई रोक लगायी गई है ?

श्री गोपालस्वामी : जहां तक रचना का सम्बन्ध है, समिति को यही देखना है कि रचना में सत्य बातें ही हों । समिति निश्चय ही इस बात का ध्यान रखेगी कि यदि कोई असत्य और भारतीय हित के प्रतिकूल कोई बात लिखी गयी हो, तो उसे काट दिया जाये ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रबन्धों में उस स्थान का भी वर्णन है जहां आजाद हिन्द सेना ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था ?

श्री गोपालस्वामी : खेद है, मैं ने स्वयं इन अंकों को नहीं पढ़ा है ।

सरदार हुक्म सिंह : पिछली बार भी जब यह प्रश्न रखा गया था तो माननीय मंत्री ने कहा था कि उन को पूर्व सूचना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने के लिये कि इन प्रबन्धों में उस स्थान का भी वर्णन किया गया है या नहीं, जहां आजाद हिन्द सेना ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, सरकार ने अब तक कोई पड़ताल की है ?

श्री गोपालस्वामी : पिछली बार दूसरे मंत्री ने पूर्वसूचना मांगी थी ; शायद माननीय सदस्य अब मुझे पूर्वसूचना दे देंगे ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं इस समिति के इतिहासकारों के नाम जान सकता हूं ?

श्री गोपालस्वामी : मैं संचालक का नाम बता सकता हूं । वह डा० विश्वेश्वर-प्रसाद हैं ।

डा० एम० एम० दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना अंग्रेजी सेना का ही एक अंग थी, मैं जान सकता हूं कि क्या इस इतिहास के लिये कोई सामग्री ब्रिटिश रक्षा विभाग से ली गयी है, और यदि ली गयी है तो क्या उस सामग्री के प्राप्त करने में भारत सरकार को कोई कठिनाई उठानी पड़ी थी ?

श्री गोपालस्वामी : इस इतिहास ग्रन्थ की रचना में सहायता देने वाले व्यक्तियों को ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के उप-निवेशों—दोनों के अधिकारियों के साथ सदा सम्पर्क रखना पड़ता है, जिससे कि यहां तथा अन्यत्र लिखी गयी बातों में परस्पर विरोध न रहे । पुस्तक में लिखने के पहले तथ्यों की यथासंभव सन्तोषप्रद रीति से जांच कर ली जाती है ।

महा-न्यायवादी तथा महा-अनुप्रार्थी

*७००. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के महा-न्यायवादी (अटार्नी जनरल) और महा-अनुप्रार्थी (सालीसिटर जनरल) के वेतनों और कार्यों में कुछ अन्तर है; तथा

(ख) भारत के महा-अनुप्रार्थी के नव-निर्मित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी हां, श्रीमान् । महा-न्यायवादी को प्रति मास ४,००० रुपये दिये जाते हैं, जब कि महा-अनुप्रार्थी को प्रति मास ३,५०० रुपये दिये जाते हैं । इस के अतिरिक्त महा-न्यायवादी के कुछ सांविधानिक और संविहित कार्य अलग हैं, शेष काम सरकार के इन दोनों विधिज्ञ पदाधिकारियों के प्रायः समान हैं ।

(ख) महा-न्यायवादी के वेतनादि और कर्त्तव्यों का नियमन करने वाले नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]

सरदार हुक्म सिंह : क्या महा-अनुप्रार्थी महा-न्यायवादी के अधिरक्षण और अधीक्षण में कार्य करता है या मुक्त रूप से ?

श्री बिस्वास : वह मुक्त रूप से कार्य करता है । आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी दोनों एक दूसरे से परामर्श कर लेते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : फिर कार्य कैसे बांटा जाता है ? क्या महा-न्यायवादी वह काम, जिसे वह चाहता है कि महा-अनुप्रार्थी करे, उसे दे देता है या इस का विपरीत होता है ?

श्री बिस्वास : महा-न्यायवादी के पास अधिक काम होने के कारण उसका काम कुछ हलका करने के लिये बाद में महा-अनुप्रार्थी की नियुक्ति की गई थी, और मुझे ठीक ठीक ज्ञात नहीं कि क्या महा-अनुप्रार्थी के पास वही मामले आते हैं जो महा-न्यायवादी उस के लिये निश्चित कर देता है । वैसे उन के कार्य एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : संविधान या अन्य संविधियों द्वारा महा-न्यायवादी को कुछ कार्य सौंपे गये हैं । उस दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस की ओर से उन कार्यों को करने के लिये महा-अनुप्रार्थी को अधिकृत किया गया है, या भविष्य में उसे इस प्रकार अधिकृत करने का विचार है ?

श्री बिस्वास : दोनों विधि-पदाधिकारियों के कार्य तत्समान शब्दों में ही वर्णित किये गये हैं। निःसन्देह महा-न्यायवादी को संविधान के अनुच्छेद ३६ के अधीन नियुक्त किया जाता है और इसलिये वह कुछ संविहित कार्य करता है । कार्यकारिणी के आदेश के अधीन वही कार्य महा-अनुप्रार्थी को सौंपा गया है ।

एकीकृत विधानजीवी-परिषद्

*७०१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूरे भारत के लिये एक पूर्णतः एकीकृत विधानजीवी पर्षद् की वांछनीयता और संभवता पर विचार करने के हेतु नियुक्त की गयी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो [समिति प्रतिवेदन प्रेषित करने में कितना समय और लगायेगी ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी नहीं ।

(ख) समिति के १ जनवरी, १९५३ तक प्रतिवेदन प्रेषित करने की आशा है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि समिति से कब तक प्रतिवेदन भेजने को कहा गया था ?

श्री बिस्वास : इसे प्रतिवेदन १ जून तक देना था, पर इस ने समय बढ़ाने के लिये निवेदन किया था ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि समिति ने कब कार्यारम्भ किया ?

श्री बिस्वास : समिति दिसम्बर, १९५१ में नियुक्त की गयी थी और उस ने उस के शीघ्र पश्चात् ही कार्यारम्भ कर दिया था । उस ने एक प्रश्नमाला सारे देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और विशिष्ट वकीलों के पास भेजी थी । नियत समय में उन सब से उत्तर नहीं मिले और इन व्यक्तियों और संस्थाओं ने समय बढ़ाने की मांग की थी और यह समय ३० जून तक बढ़ा दिया गया था । इसी से प्रतिवेदन के प्रेषण में देर हुई है ।

भारत को अमरीकी वित्तीय सहायता

*७०२. **श्री बी० आर० भगत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत स्थित अमरीकी राजदूत ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से अगले संयुक्त राष्ट्रीय वित्तीय वर्ष में भारत को वित्तीय सहायता देने के लिये सिफ़ारिश की है ;

(ख) यदि की है, तो प्रस्तावित सहायता की राशि ;

(ग) सहायता का उद्देश्य ; तथा

(घ) यदि कोई हों, तो इस की शर्तें ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (घ) । समय समय पर समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उस के अतिरिक्त भारत सरकार के पास और कोई सूचना नहीं है ।

श्री बी० आर. भगत : मैं जान सकता हूं कि वाशिंगटन के लिये प्रस्थान करने से पूर्व अमरीकी राजदूत ने भारत सरकार से इस विषय में कुछ बातचीत की थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : उन्होंने कोई बातचीत नहीं की थी । हमें सहायता देने की उस की इच्छा का सामान्य संकेत मात्र भर मिला था ।

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं यह समझूं कि सहायता का यह वचन एकपक्षीय ही था, उभयपक्षीय नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह एकपक्षीय ही है ; हम इस स्थिति में नहीं हैं कि संयुक्त राज्य की कोई सहायता कर सकें ।

श्री बी० आर० भगत : क्या सरकार को ज्ञात है कि अमरीकी राजदूत ने सहायता का एक दीर्घ-कालीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह सूचना देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि श्री चैस्टर बाउल्स ने अमरीकी सहायता का उद्देश्य अपने एक लेख 'एशिया की कोटि-कोटि जनता में साम्यवाद को फैलने से रोकने के एकमात्र उपाय' में बताया था ; यह लेख 'न्यूयार्क टाइम्स' दिनांक..... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो पहले ही प्रकाशित हो चुका है और सर्व विदित है । यह कोई विशेष बात नहीं है, जो माननीय मंत्री को ही विदित हो । वह सरकार से क्या सूचना चाहते हैं ?

श्री बी० पी० नायर : क्या यही उद्देश्य है ?

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने मेरे माननीय मित्र द्वारा अभी निर्दिष्ट श्री चेस्टर बाउल्स के वक्तव्य की सचाई की जांच के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह बात किस प्रकार उत्पन्न होती है ।

नौसैनिकों का प्रशिक्षण

*७०३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रक्षा** मंत्री नौसैनिकों के प्रशिक्षण के लिये स्थापित प्रशिक्षण स्कूलों और कालेजों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : भारतीय नौसैनिकों के प्रशिक्षण के लिये स्थल, वायु और नौ सेनाओं की सर्वसामान्य संस्थाओं के अतिरिक्त १४ स्कूल और कालेज हैं ।

प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम यह हैं:

(१) इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थापन ।

(२) शिपराइट प्रशिक्षण स्कूल ।

(३) इलैक्ट्रिकल स्कूल ।

(४) ब्वॉयज़ प्रशिक्षण संस्थापन ।

(५) सप्लाई एंड सेक्रेटेरियट स्कूल ।

(६) सीमैनशिप स्कूल ।

(७) तारपीडो एंड एंटी-सबमैरिन स्कूल ।

(८) गनरी स्कूल ।

(९) आफ़ीसर्स एंड अपर यार्डसमैन स्कूल ।

(१०) सिगनल स्कूल ।

(११) नेविगेशन डायरेक्शन स्कूल ।

(१२) डाइविंग स्कूल ।

(१३) राडर स्कूल ।

(१४) रेगुलेटिंग स्कूल ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या कोचीन में गनरी तथा नौपरिवहन स्कूल का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न कुछ दिन पहले नहीं पूछा गया था ? मुझे कुछ ऐसा अनुमान है कि यह बताया गया था कि यह एक अस्थायी इमारत में चलाया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : पर माननीय मंत्री ने बताया है कि गनरी स्कूल स्थापित हो चुका है । मैं जान सकता हूं कि यह कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं समझता हूं कि वह उसी प्रश्न को दुहरा रहे हैं ?

श्री बी० शिवा राव : क्या विवरण में उन स्थानों के भी नाम हैं, जहां यह प्रशिक्षण संस्थायें हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्या माननीय मंत्री स्थानों के नाम और दे कर विवरण को पूरा करेंगे ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, मैं यह कर दूंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं इन स्कूलों और कालेजों में रखे गये व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे खेद है कि मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं क्रमशः इन स्कूलों और कालेजों में प्रवेश के लिये निश्चित की गयी न्यूनतम योग्यता जान सकता हूं ?

श्री गोपालस्वामी : यह भिन्न भिन्न स्कूलों के स्वरूप पर निर्भर है । साधारणतः अधिकांश स्कूलों के लिये मेरे विचार से मैट्रिक प्रमाणपत्र की योग्यता होना आवश्यक है ।

श्रीमती ए० काले : क्या इन स्कूलों और कालेजों में लड़कियां भी प्रविष्ट हो सकती हैं ?

श्री गोपालस्वामी : किसी लड़की के प्रविष्ट होने का मुझे ज्ञान नहीं है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इन सेवाओं के लिये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से क्या माननीय मंत्री एक विवरण जिसमें इन संस्थाओं के बारे में पूरी पूरी अपेक्षित योग्यतायें । उन स्थानों के नाम जहां यह संस्थायें स्थित हैं और दूसरी बातें बतायी गयी हों सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपालस्वामी : मैं कोशिश कर के माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सारी सूचना प्रकाशित कर दूंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित स्कूल और कालेज नौसेना की प्रशिक्षित व्यक्तियों सम्बन्धी मांग पूरी कर देंगे ? यदि नहीं, तो मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा निकट भविष्य में कोई नयी संस्थायें खोली जा रही हैं ?

श्री गोपालस्वामी : जहां तक नौसेना के उन विशिष्ट पहलुओं का सम्बन्ध है, समय आने पर वह मांग पूरी कर देंगे । पर कुछ और बातें भी हैं, जो यह स्कूल पूरा नहीं कर सकेंगे । और इस से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हमें इन संस्थाओं से भी कुछ प्रशिक्षणार्थियों को अग्रेतर प्रशिक्षण के लिये विदेश क्यों भेजना होता है ?

श्री एम० डी० जोशी : इन १४ संस्थाओं के सिवा क्या कोई दूसरी सीधे चलायी जाने वाली संस्थायें हैं जहां प्रशिक्षण दिया जाता हो ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, मुझे किसी अन्य का ज्ञान नहीं है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या मैं इन संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जान सकता हूं और क्या यह भी जान सकता हूं कि इन में कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित हो चुके हैं ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे खेद है कि मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

जन-सम्पर्क-अधिकारी

*७०४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या करों को देने और वह छूट प्राप्त कराने में, जिस की वह अधिकारी हो, जनता को सहायता देने के लिये बम्बई और मद्रास में जन-सम्पर्क-अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या मई, १९५१ में आयकर आयुक्तों के सम्मेलन के बाद कलकत्ते में की गई जन-सम्पर्क-अधिकारियों की नियुक्तियों के कारण हुई प्रगति का सरकार द्वारा पर्यावलोकन किया गया है ; तथा

(ग) यदि किया गया है तो की गयी प्रगति के परिणाम ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) बंबई और मद्रास के आयकर विभागों में अब तक जन-सम्पर्क-अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है ।

(ख) जी हां, जन-सम्पर्क-पदाधिकारी द्वारा पाक्षिक प्रतिवेदन प्रेषित किये जाते हैं ।

(ग) अगस्त, १९५१ से कलकत्ता के जन-सम्पर्क-अधिकारी —

(१) को २०५ शिकायतें मिली हैं, जिन में से उसने १९१ निपटा दी हैं ;

(२) ने लगभग ५०० व्यक्तियों से भेंट की है और उनको पथ-निर्देश किया है ; तथा

(३) ने १२४ विविध विषय निपटाये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता के जन-सम्पर्क-अधिकारी ने गुप्त आय के स्वतः प्रकट किये जाने में विभाग को कोई सहायता दी है ?

श्री त्यागी : वस्तुतः जन-सम्पर्क-अधिकारियों का काम उन करदाताओं को प्रविधिक सहायता देना है, जिनको कभी कभी यही ज्ञात नहीं होता है कि वह अपने कर निर्धारणों

को किस प्रकार पूरा करें। अधिकांशतः उन का काम करदाताओं को सहायता देना है। पर उन करदाताओं को, जिन को ऐसी आय हुई है जिस पर उन्होंने आयकर का अपवंचन किया है, ज्ञान-सम्पर्क-अधिकारी ने निश्चय ही सत्परामर्श दिया होगा, और उन की सहायता की होगी।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या करों के चुकाये जाने के लिये कोई दूसरे विशेष उपाय सरकार द्वारा अपनाये गये हैं?

श्री त्यागी : जी नहीं, श्रीमान्। वस्तुतः पिछले वर्ष तक की बकाया चुकाने के भारी आन्दोलन और छुपी आय प्रकट किये जाने के कारण आयकर विभाग के पदाधिकारी साधारणतः जनता की बात सोचने लगे हैं, और यदि मैं विरोधी-दल का शब्दों में व्यक्त करूं, तो पर्याप्त रूप से समाज के अंग बन गये हैं। और मैं समझता हूं कि करदाताओं के साथ अब उनका सजीव सम्पर्क होने के कारण करदाताओं को भी अधिक लाभ हो रहा है और आयकर पदाधिकारियों को भी।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता के जन-सम्पर्क-अधिकारी के काम की पूरी-पूरी प्रगति का अनुमान लगाया गया है, और क्या बंबई और मद्रास में एक एक जन-सम्पर्क-अधिकारी की नियुक्ति करने में शीघ्रता की जायेगी?

श्री त्यागी: मेरी कठिनाई यह रही है कि जब हम इन पदाधिकारियों की नियुक्ति को मान्यता दिलाने के लिये संघीय लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे, तो उस ने हमें किसी सेवा निवृत्ति व्यक्ति को नियुक्त न कर के किसी सेवायुक्त—ज्येष्ट सहायक—आयुक्त को जन-सम्पर्क-अधिकारी नियुक्त कर लेने का परामर्श दिया था। हमारे लिये सेवा-युक्त कर्मचारियों में से किसी अतिरिक्त कर्मचारी को खोज निकालना कठिन है, क्योंकि हमारे पास पदाधिकारियों की वैसे ही कमी है और मुझे भय है कि मद्रास और बंबई में नियुक्त करने के लिये दूसरे जन-सम्पर्क-अधिकारी प्राप्त करने में मुझे काफ़ी देर लगेगी।

पन्नागढ़ सैनिक अड्डा

***७०५. डा० एम० एम० दास:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पन्नागढ़ सैनिक अड्डे के लिये सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि का कुल क्षेत्रफल ;

(ख) वह क्षेत्र, जिस में कोई सैनिक प्रतिष्ठापन नहीं हैं ;

(ग) अड्डे के क्षेत्र में इस समय कृषि-योग्य भूमि, और उसका कैसे उपयोग होता है ;

(घ) क्या यह सत्य है कि कृषि के लिये अनुमत सारी की सारी कृषियोग्य भूमि केवल एक ही व्यक्ति को पट्टे पर दे दी गई है ; तथा

(ङ) यदि यह सत्य है, तो पट्टे की शर्तें क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) ९४६८·३४ एकड़।

(ख) १११२ एकड़।

(ग) ६६७ एकड़। अब तक ५६९·१७ एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिये पट्टे पर दी गई है।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) उक्त (घ) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि कृषि कार्य के लिये अनुमत यह भूमि किस प्रकार पट्टे पर उठायी गयी है—

क्या वह भूमि उसके पहले मालिकों को दी गयी है ?

श्री गोपालस्वामी : कुल तीन पट्टे हुए है और दो व्यक्तियों ने यह पट्टे लिये हैं। दो पट्टे एक ने लिये हैं और तीसरा एक दूसरे व्यक्ति ने। नीलाम में उन दोनों ने ही सब से अधिक बोली लगायी थी पर उन में से एक भी वहां का स्थानीय निवासी नहीं है। वह विस्थापित व्यक्ति होने के कारण बाहर के हैं।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं पट्टे की शर्तें जान सकता हूं, जैसा कि मैं ने प्रश्न के भाग (ङ) में पूछा है ?

श्री गोपालस्वामी : मैं ने प्रश्न के भाग (ङ) का यह उत्तर दिया है कि प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर 'नकारात्मक' होने के कारण यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न का भाग (घ) यह है कि क्या यह सत्य है कि कृषि के लिये अनुमत सारी की सारी कृषि-योग्य भूमि केवल एक व्यक्ति को ही पट्टे पर दी गयी है। यदि माननीय सदस्य वह लगान जानना चाहते हैं, जो पट्टेदार देने को तैयार हो गये हैं, तो मैं वह आंकड़े बता सकता हूं।

डा० एम० एम० दास : मैं वह तो जानना ही चाहता था, साथ ही पट्टों का समय भी जानना चाहता था कि वह कब समाप्त होंगे ?

श्री गोपालस्वामी : लगान इस प्रकार हैं :—

(१) ९५ एकड़ का पट्टा—१६४ रुपये।

(२) १५९·१७ एकड़ का पट्टा—३०१ रुपये।

(३) ३१५ एकड़ का पट्टा—५०५ रुपये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पट्टे कब समाप्त होते हैं। वह लगान नहीं पूछते हैं, बल्कि यह जानना चाहते हैं कि पट्टे कब समाप्त होंगे। यह पट्टे कितने समय के लिये दिये गये हैं ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे खेद है कि यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, पर मैं उन को वह सूचना दे सकता हूं।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को उन कृषकों की ओर से, जिन से यह भूमि अधिगृहीत की गयी थी, कोई स्मृतिपत्र प्राप्त हुआ है और उस में सरकार से कहा गया है कि यह भूमि सरकार द्वारा उचित समझी गयी किन्हीं शर्तों पर खेती के लिये उन को दे दी जाये।

श्री गोपालस्वामी : इस विषय की कोई सूचना यहां नहीं है। हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि पट्टेदार स्वयं खेती कर रहे हैं या उन्होंने उसे फिर पट्टे पर उठा दिया है। हम ने और सूचना मांगी है, जो प्राप्त होने पर पटल पर रखी जा सकेगी।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि इस स्थान से सम्बन्ध न रखने वाले तीन व्यक्तियों को यह भूमि पट्टे पर देने से पहले क्या उन कृषकों को, जिन से भूमि ली गयी थी, सरकार द्वारा बतायी गयी शर्तों पर खेती करने के लिये भूमि देने का कोई अवसर दिया गया था ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, पूर्व-सूचना दी गयी थी और जमीन नीलाम द्वारा पट्टे पर उठायी गयी थी। नीलाम के समय ८ आदमी उपस्थित थे।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी और कुछ ऐसा प्रबन्ध करेगी जिस से कि कृषकों को यह भूमि खेती के लिये मिल जाये ?

श्री गोपालस्वामी: इस बात पर विचार किया जा सकता है, पर पहले ही दिये जा चुके पट्टों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या सहकारी संस्थाओं के किन्हीं काश्तकारों ने पट्टे के लिये आवेदन किया था ?

श्री गोपालस्वामी: मुझे खेद है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है । आठ व्यक्ति नीलाम के समय उपस्थित थे, यही सूचना हमारे पास है ।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री हमें यह बतला सकते हैं कि इस में से कितनी भूमि पर खेती होती है तथा कितनी बेकार पड़ी है ?

श्री गोपालस्वामी: पट्टे देने के बाद ?

डा० एम० एम० दास: जी हां, श्रीमान् ।

श्री गोपालस्वामी: मुझे खेद है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

सोवियेत संघ के साथ रुपया-व्यवहार

*७०६. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या हाल ही के महीनों में सोवियेत संघ के साथ कोई रुपया-व्यवहार किया गया है; तथा

(ख) क्या किन्हीं सौदों के सम्बन्ध में सोवियेत संघ या भारत स्थित इस के अभिकरणों को किसी धन राशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). भारत सरकार और सोवियेत संघ के बीच कोई रुपया-व्यवहार नहीं हुआ है । न किन्हीं सौदों के बारे में सोवियेत संघ या भारत स्थित इस के अभिकरणों को ही किसी धन राशि का भुगतान किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारत और सोवियेत संघ रूस के बीच विनिमय की इकाई पौण्ड स्टर्लिंग है ?

श्री सी० डी० देशमुख: यदि वस्तु विनिमय न हो तो ।

श्री बी० आर० भगत: मैं कारण जान सकता हूं ?

श्री सी० डी० देशमुख: सोवियेत संघ रूस का पौण्ड स्टर्लिंग स्वीकार कर लेने के लिये राजी हो जाना ।

राज्यों को अनुदान

*७०७. **श्री जांगड़े:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न भाग क, ख, ग और घ में के राज्यों को क्रमशः सन् १९४९-५० और १९५१ में अलग-अलग अनिवार्य, सामाजिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिये दिये गये अनुदानों की राशि क्या है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री के० डी० मालवीय): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९**]

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि पार्ट बी स्टेट्स (भाग ख में के राज्यों) को समाज शिक्षा के लिये ग्रांट (अनुदान) क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री के० डी० मालवीय: ऐसा तो नहीं है । जो बयान आनरेबुल मेंबर (माननीय सदस्य) के सामने पेश है उस से उन्हें

मालूम होगा कि सन् १९४९-५० में एक ग्रांट (अनुदान) दी गयी थी, जो समाज-शिक्षा के लिये थी। इस के अलावा समाज शिक्षा के लिये विशेष तौर पर और कोई रकम नहीं दी गयी थी।

श्री जांगड़े: क्या माननीय मंत्री ने पता लगाया है कि जहां समाज-शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार ने ग्रांट (अनुदान) दी है वहां उस ग्रांट का समुचित उपयोग हुआ है।

श्री के० डी० मालवीय: जरूर होता होगा।

श्री आर० एन० सिंह: क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट की तरफ से पाठशालायें खोली गयी हैं लेकिन वह नाम के लिये ही रहीं परन्तु अध्यापकों की तनख्वाह चुकता की गई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): यह सवाल तो उत्तर प्रदेश से करना चाहिये।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि क्या इस सिलसिले में उन के पास अलग अलग रियासतों से रिपोर्टें आई हैं और क्या उन में यह बतलाया गया है कि इस ग्रांट (अनुदान) से कहां कहां संस्थायें खोली गयीं और उन में कितने कितने ऐडल्ट (प्रौढ़) या दूसरे लोगों ने शिक्षा पाई है ?

श्री के० डी० मालवीय: रिपोर्टें तो आया करती हैं, लेकिन माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सन् १९४८-४९ और १९४९-५० में ब्लाक ग्रांट (पिंड अनुदान) दी गई हैं, खास तौर पर सामाजिक शिक्षा के लिये ही कोई ग्रांट नहीं दी गई थी, इसलिये यह सवाल उठता ही नहीं कि समाज शिक्षा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट हमारे पास आये, या उसका परिणाम हमें मालूम हो।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५० में समाज शिक्षा के लिये अनुदान देना क्यों बन्द कर दिया गया ?

मौलाना आज़ाद: फाइनेंन्सियल स्ट्रिंजेंसी (वित्तीय अभाव)।

अनुमति के लिये आवेदन

*७०८. **श्री झुनझुनवाला:** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय समवाय अधिनियम की धारा २८९ ख (१) में निर्दिष्ट की गयी विभिन्न धाराओं के अधीन सरकार को ३० अप्रैल, १९५२ तक अनुमति प्राप्त के लिये कितने आवेदन दिये गये थे ?

(ख) सरकार द्वारा इन में से कितने निपटा दिये गये हैं और किन किन शर्तों के साथ ?

(ग) क्या ऐसे आवेदनों पर सरकारी अनुमति प्राप्त करने के लिये कुछ सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे मैं सदन पटल पर रख रहा हूं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

पौण्ड पावना

*७०९. **श्री झुनझुनवाला:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पौण्ड पावने में से १ जुलाई, १९५१ से निकाली गई कुल राशि ;

(ख) इसे कैसे काम में लाया गया है ;

(ग) इस में से कितना चालू वर्ष के लिये स्वीकृत धन राशि में से लिया गया

है और कितना पिछले वर्ष काम में न लाई गई बाक़ी में से ; तथा

(घ) क्या इन निकाली गई धन राशियों में जुलाई, १९५१ से आरम्भ होने वाले विनिमय वर्ष की मुक्ति का कुछ अग्रिम उपयोग भी शामिल है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) मई १९५२ के अन्त तक १७० करोड़ रुपये ।

(ख) वर्तमान तथा पूंजी सौदों के बाहरी भुगतान में होने वाले घाटे को पूरा करने में इन धन राशियों का उपयोग किया गया है ।

(ग) वर्तमान विनिमय वर्ष के लिये आपस में सहमत ३५० लाख पौण्ड की मुक्ति में से अब तक १०० लाख पौण्ड (१३ करोड़ रुपये) लिये गये हैं। शेष राशि १ जुलाई १९५१ को बची रोकड़ बाक़ी से पूरी की गई थी ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री झुनझुनवाला: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोई सिद्धान्त निश्चित किया है कि पौण्ड पावने के उपयोग में अमुक-अमुक वस्तु को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री सी० डी० देशमख: वह तो आयात नीति का एक मुख्य सिद्धान्त है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं पूंजी-वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता नियत किये जाने की रीति जान सकता हूं ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, उन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली हुई है ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या छः वर्ष बीतने पर समझौते के अनुसार हमारे अचल्द लेखे में कुछ शेष रह जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: प्रस्तुत चिन्हों से तो संभावना नहीं है ।

श्री बी० आर० भगत: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि १ जुलाई, १९५१ से बाद के समय में इन पौण्ड-मुक्तियों में से कितनी धन राशि पूंजी वस्तुओं पर व्यय की गई है और कितनी उपभोक्ता वस्तुओं पर ?

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जो दिग्दर्शक सिद्ध होंगे। यह आंकड़े १ जुलाई, १९५१ से फ़रवरी १९५२ तक के हैं। संयंत्र और मशीनें ६५·२ करोड़ रुपये; औद्योगिक माल १५३ करोड़ रुपये ; अन्न, दालें, आटा १४४ करोड़ रुपये ; अन्य अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुयें ७७·६ करोड़ अन्य उपभोक्ता वस्तुयें १८·२ करोड़ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियां

*७१०. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने अरबी, फ़ारसी, संस्कृत या पाली के अध्ययन के लिये अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्व भारती के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियां देना निश्चित किया है ?

(ख) यदि किया है, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये कितनी छात्रवृत्तियां निश्चित की जायेंगी ?

(ग) ऐसी प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि क्या होगी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा-सचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रति वर्ष दो छात्रवृत्तियां, प्रत्येक छात्रवृत्ति चार वर्ष चलेगी ।

(ग) ७५ रुपये प्रति मास ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वह विशिष्ट लक्ष्य क्या है, जिस के लिये यह छात्रवृत्तियां रखी गई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : छात्रवृत्तियां फ़ारसी, अरबी, पाली तथा संस्कृत के अध्ययन के लिये हैं, जिस से कि एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्ति दूसरे समुदाय की सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी समस्याओं को समझ सकें ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह छात्रवृत्तियां किसी भारतीय छात्र को मिल सकती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, पर एक प्रतिबन्ध है । पाली और संस्कृत की छात्रवृत्तियां हिन्दुओं को नहीं मिलती हैं और अरबी और फ़ारसी की छात्रवृत्तियां मुसलमानों को नहीं मिलती हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन ले लिया है, और यदि ले लिया है, तो क्या जनता ने उस की स्वीकृति दे दी है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, इस का प्रस्तुत प्रश्न से बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं है ।

कुमारी ऑनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या मलयालम, तामिल या तेलगू के अध्ययन के लिये भी कोई छात्रवृत्ति दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि प्राकृतिक (प्राकृत) भाषा के न जोड़ने का क्या कारण है ?

श्री के० डी० मालवीय : पाली भाषा का तो मैं ने ज़िक्र किया है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास और अन्नामलाई विश्वविद्यालयों में ऐसा कोई कार्य शुरू किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक सुझाव है ; मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि आंध्र, मद्रास और त्रावनकोर के दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने का क्या कोई विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रश्न के पहले भाग के उद्देश्य का मूल उद्देश्य, अर्थात् छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य ही नहीं समझा है । अगला प्रश्न ।

कृषि भूमियां

*७१२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत की छावनियों में स्थित कृषि भूमियों के पट्टों की समयावधि के बारे में अपनी नीति हाल में पुनरीक्षित की है ?

(ख) यदि की है, तो क्यों ?

(ग) क्या इन भूमियों के स्वामियों को उचित पूर्वसूचना दी गई थी ?

(घ) क्या सरकार को इन परिवर्तनों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे, और यदि प्राप्त हुये थे तो वह कितने थे और उन का क्या हुआ ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन योजनायें

*७१३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन कौन सी योजनायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं ?

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने अमरीकी पहले से ही कार्य कर रहे हैं ?

(ग) किन किन श्रेणियों के अमरीकी प्रविधिविज्ञ नियुक्त किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन अमरीका से मूलतः विशेषज्ञों की सेवायें तथा प्रशिक्षण सुविधायें चालू विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिये प्राप्त की जा रही हैं। हाल में कार्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है और कार्यक्रम के अधीन वादा की गई आर्थिक सहायता के आधार पर कुछ नई योजनायें शुरू की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में अब तक आठ कार्यनिष्पादिन समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिन की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रखी जा चुकी हैं। [**प्रतिलिपियां पुस्तकालय में रखी गयीं, देखिये संख्या ४, एस (क) (६)–१ से ७**]

(ख) आजकल भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न विकास योजनाओं में सहायता देने के लिये ३७ अमरीकी विशेषज्ञ हैं।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११**]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार द्वारा अपनाया गया ऐसा कोई तरीका है, जिस से इस बात की प्रत्याभूति हो कि यदि अपेक्षित योग्यताओं वाले भारतीय मिल सकें, तो विदेशी विशेषज्ञ न रखे जायें ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, विदेशी विशेषज्ञों के लिये निवेदन करने के पूर्व इस पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या किसी अमरीकी को नियुक्त करने से पहले लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के प्रमुख के पद का विज्ञापन किया गया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री दामोदर मेनन : क्या चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार के लिये अमरीकी विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करना अत्यावश्यक है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री नम्बियार : अमरीकी प्रविधिविज्ञों के ऊपर अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में भारतीय प्रविधिविज्ञों द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि प्रश्न यही है तो, अमरीकी प्रविधिविज्ञों के ऊपर नियुक्ति के विरुद्ध तो कोई अभ्यावेदन हो ही नहीं सकता है।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि क्या जिन स्थानों पर अमरीकी प्रविधिविज्ञ कार्य कर रहे हैं, वहां भारतीय विशेषज्ञों को रखने के लिये भी कुछ कार्यवाही की जा रही है जिस से कि समय आने पर वह अमरीकियों के स्थान पर कार्य कर सकें।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि वह तो होगा ही। उन में से कुछ प्रशिक्षण

के लिये हैं । जैसे ही सुयोग्य भारतीय उपलब्ध होंगे ...

अध्यक्ष महोदय : यह सदन में कई बार बताया जा चुका है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करने से पहले इन पदों के विज्ञापित करने का कोई तरीक़ा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है ?

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या अमरीकी विशेषज्ञ एक निश्चित अवधि के लिय रखे जाते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां; सामान्यतः अवधि निश्चित कर दी जाती है । व्यक्तिगत विषयों में यह भिन्न भिन्न होती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री गोपालन ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, क्या आप निदेश देंगे कि श्री गोपालन के प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : वह अन्त में आयेगा । उन्होंने चाहे अधिकार दे भी दिया हो, तो भी सामान्य व्यवहार यह है कि दूसरे सभी प्रश्नों का उत्तर पहले दिया जायेगा, और ...

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, नियमों के अन्तर्गत आप को यह निदेश देने का अधिकार है कि किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : वह अन्त में आयेगा, जिस तक पहुंचने की साधारणतः हमें आशा नहीं रहती है । अगला प्रश्न ।

प्रायमरी स्कूल

*७१५. **श्री एल० जे० सिंह :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मनीपुर राज्य के भारत संघ में सम्मिलित होने के बाद से सरकार द्वारा कितने प्रायमरी स्कूल अपने अधीन ले लिये गये हैं और कितनों को सहायक अनुदान दिये गये हैं ?

(ख) शिक्षा सम्बन्धी विकास के लिय मनीपुर को आवंटित की गई धन-राशि क्या है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) समन्वय के बाद से ४१ लोअर प्रायमरी स्कूल सरकार के अधीन ले लिये गये हैं और १६३ को सहायक अनुदान दिये गये हैं ।

(ख) २.६० लाख रुपये नई मदों के लिये और ५०,००० रुपये गवर्नमेंट कालेज, इम्फाल की इमारत के लिये ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि जन-जाति क्षेत्रों में और देहाती क्षेत्रों में कितने स्कूल सरकार ने अपने अधीन ले लिये हैं और देहाती क्षेत्रों के और जन-जाति-क्षेत्रों के कितने स्कूलों को सहायक अनुदान दिये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : देहाती और शहरी क्षेत्रों के यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : सहायक अनुदान दिये जाने के विषय में जनता में बढ़ते हुये असन्तोष को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार वह कसौटी बतलाने की कृपा करेगी, जिस के अनुसार वह इन स्कूलों को लेती है या उन को सहायक अनुदान देती है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन संस्थाओं को चलाने में स्थानीय अधिकारियों की वित्तीय रूप से असमर्थता होने के कारण उनको सरकार ने अपने अधीन ले लिया था ।

सामाजिक तनाव

*७१६. **श्रीमती जयश्री**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामाजिक तनावों के बारे में खोज कार्य करने में सहयोग देने के लिये नियुक्त की गई समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ख) सामाजिक तनावों सम्बन्धी इस खोज समिति की उपपत्तियों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्रीमती जयश्री: मैं जान सकती हूं कि वह सामाजिक तनाव कौन से हैं, जिन पर खोज की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय: साम्प्रदायिक तनाव, जातिगत तनाव, भाषागत तनाव आदि।

श्री दामोदर मेनन: वह कौन कौन से केन्द्र हैं, जहां सामाजिक तनावों पर खोज कार्य होता है ?

श्री के० डी० मालवीय: इन पड़तालों को करने के कोई प्रादेशिक आधार नहीं हैं; और सरकार इन तनावों से सम्बन्धित समस्याओं की पड़ताल करने का विचार कर रही है।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस तनाव समिति की उपपत्तियों को प्रभावी बनाने के लिये कोई साधन है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, श्रीमान्। बहुत सी समितियां हैं, जो एक पर्षद् के अधीन नियुक्त की गई हैं, और यह समितियां विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा अन्य शिक्षाविशारदों के साथ सम्बन्ध है। उन के द्वारा इस प्रश्न का परीक्षण किये जाने और हमारे पास प्रतिवेदन भेजे जाने की प्रत्याशा की गई ह, जिस से कि यदि सरकार कुछ कार्यवाही करना चाहे तो कर सके।

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

श्री वैलायुधन: श्रीमान् एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय: इस पर तनाव नहीं होना चाहिये। अगला प्रश्न।

पुनःशस्त्रीकरण कार्यक्रम

*७१७. **श्री एच० एन० मुखर्जी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि ग्रेट ब्रिटेन के पुनःशस्त्रीकरण कार्यक्रम के कारण उसे होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये भारत सरकार से सहायता की मांग की जायेगी, तथा

(ख) क्या ब्रिटिश राष्ट्र मंडल का एक सदस्य होने के नाते भारत ने कुछ वित्तीय दायित्व लिये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). जी नहीं श्रीमान्।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व राष्ट्रमंडल मंत्री लार्ड इज्मे की भेंट के इस प्रेस वृतान्त की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत से उन अतिरिक्त व्ययों का भार बंटाने की मांग की जाने वाली है, जो ब्रिटेन अपने पुनःशस्त्रीकरण पर करने जा रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, मैं ने एक समाचार पत्र की सूचना देखी है, पर यह श्री शिनवेल का वक्तव्य था, माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट महानुभाव का नहीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, मेरे पास यहां पर एक समाचारपत्र है, जिसमें लंदन से लार्ड इज्मे के सम्बन्ध में एक विवरण दिया हुआ है ।

श्री सी० डी० देशमुख : कौन सा समाचारपत्र ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : ब्लिट्ज़ ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य अपने एक ऐसे काल्पनिक एवं स्वप्निल लोक में निवास करते हैं, जिस का सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार का विचार यह है कि विशिष्ट पत्रों में प्रकाशित सभी बातों की अवहेलना की जाये, क्योंकि उन के द्वारा सत्य के प्रकाशित न किये जाने का अनुमान किया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ पत्र ऐसे हैं जिन के बारे में पूर्वानुमान यही है कि उन में जो कुछ होता है, असत्य होता है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार निरन्तर असत्य प्रकाशन करने वाले पत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि विधि में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाये जिसके अन्तर्गत हम ऐसी कार्यवाही कर सकें, तो हम ऐसी कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, एक प्रश्न और है । क्या माननीय मंत्री आज प्रकाशित हुये इस समाचार पर, कि ब्रिटिश हाउस आफ़ कामन्स में विशद सहयोगात्मक आर्थिक नीति के बारे में चर्चा चल रही है, जो इस देश समेत सभी राष्ट्रमंडल के देशों द्वारा अपनायी जानी है, विवेचना कर सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं कह दूं कि मुझे ज्ञात नहीं कि क्या माननीय सदस्य पिछले जनवरी में हुये राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन का निर्देश कर रहे हैं ? सम्मेलन द्वारा एक प्रेस वक्तव्य निकाला गया था और उस सम्बन्ध में मैं ने अस्थायी संसद् में एक विवरण सदन पटल पर रखा था । उस का ब्रिटेन के पुनःशस्त्रीकरण कार्यक्रम के विषय में कुछ वित्तीय दायित्व लेने के किसी विचार से कोई सम्बन्ध नहीं है । सहायता स्टर्लिंग क्षेत्र की सर्वसामान्य समस्याओं के अर्थात् सुवर्ण तथा डालर के सर्वसामान्य रक्षित कोष की गिरती हुई प्रवृत्तियों के समाधान के विषय में है ।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अनुदान

*७१८. **श्रीमती जयश्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कला, साहित्य, संस्कृति आदि के क्षेत्र में प्रसिद्ध ऐसे व्यक्तियों को, जो दैन्यावस्था में हैं, कोई अनुदान देने के लिये इस वर्ष के आयव्ययक में एक लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है ;

(ख) क्या भूतकाल में ऐसा कोई अनुदान किसी व्यक्ति को दिया गया था, और यदि दिया गया था, तो दी गई राशि क्या थी; तथा

(ग) क्या यह निश्चित करने के लिये कि कौन इस अनुदान का पात्र है, कोई समिति है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, सन् १९५०-५१ में २,५०० रुपये की एक रक़म काज़ी नज़रुल इस्लाम की चिकित्सा के लिये बंगाल सरकार द्वारा दी गई थी ।

(ग) प्रतिष्ठित असरकारी व्यक्तियों तथा वित्त, रक्षा तथा शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति इस कार्य के लिये नियुक्त करने का विचार है ।

श्रीमती जयश्री: किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला अधिकतम अनुदान क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय: हमने कुछ भी अधिकतम अनुदान निश्चित नहीं किया है ।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि काज़ी नज़रुल इस्लाम की चिकित्सा के लिये दी गई राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई थी या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा ?

श्री के० डी० मालवीय: केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

श्री एन० एस० नायर: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या संसद् सदस्य इन अनुदानों के अधिकारी होंगे ?

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है और यदि कर रही है, तो क्या कला तथा साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, नियमानुसार साधारणतः आवेदन पत्र मांगे जाते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कोई अन्य आवेदन पत्र भी प्राप्त हुये हैं और यदि प्राप्त हुये हैं, तो किस किस से ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे इस के लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी । मुझे ज्ञात नहीं कि क्या इस विशिष्ट विषय के सम्बन्ध में कोई अन्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं या नहीं ।

स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास

***७१९. श्री मादिया गौडा:** क्या **शिक्षा** मंत्री २० सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) "भारत के स्वाधीतना आन्दोलन का इतिहास" तैयार करने के कार्य में तब से कितनी प्रगति हुई है और इस में अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है ; तथा

(ख) इस के कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). एक योजना बनाई गई है और उसे कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मादिया गौडा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इतिहास के इस ग्रन्थ को तैयार तथा सम्पादित करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, एक उच्च अधिकार युक्त आयोग नियुक्त किया गया है, और इस के अधीन विभिन्न समितियों का समायोजन किया गया है और किया जा रहा है ।

श्री वी० जी० देशपांडे: क्या माननीय मंत्री कृपया इस समिति के सदस्यों के नाम बतलायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय: उच्च अधिकार प्राप्त आयोग के, जो इतिहास के रचना कार्य में पथ-प्रदर्शन करने जा रहा है, सदस्य डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इतिहास में क्या कांग्रेस दल की कार्यवाहियां ही रहेंगी या दूसरे दलों को भी इस में सम्मिलित किया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, एक इतिहास लिखा जा रहा है । किसी भी दल का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मज़दूर-वर्ग के प्रतिनिधियों को भी समिति में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सरकार ने विरोधी दलों का कोई सदस्य क्यों नहीं लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री के० डी० मालवीय : विभिन्न उप-समितियों को नियुक्त किया जा रहा है, और कार्य के पूर्ण हो जाने पर वह प्रस्ताव सदन के समक्ष रख दिया जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का विचार कर रही है, जो इतिहासज्ञ के रूप में प्रख्यात हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे सहकारी द्वारा निर्दिष्ट समिति वस्तुतः यह विचार करने के लिये है कि क्या कार्य-वाही की जाये । वह इस महान् कार्य को किसी भी अर्थ में स्वयं करने का प्रयत्न करने नहीं जा रहे हैं । यह तो केवल इस पर विचार करने के लिये है कि इस पर किसे कार्य करना है और किस प्रकार करना है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर अब और प्रश्नों की गुंजाइश नहीं है ।

विदेशी छात्रवृत्तियां

*७२०. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशी सरकारों और संस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भारतीय प्रजाजनों के लिये सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ के लिये प्राप्त की गई विदेशी छात्रवृत्तियां और पारिषद्यताओं की संख्या ; तथा

(ख) इन वर्षों में उन छात्रवृत्तियों और पारिषद्यताओं के लिये चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सन् १९५१-५२ के लिये ३१३ छात्रवृत्तियां/पारिषद्यतायें ।

सन् १९५२-५३ के लिये ४०९ छात्र-वृत्तियां/पारिषद्यतायें ।

(ख) छात्रवृत्तियों/पारिषद्यताओं के लिये चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या :

(१) १९५१-५२ के लिये—३०३ ।

(२) १९५२-५३ के लिये—२९ ।

शेष चुनावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि अभ्यर्थियों का चुनाव कौन करता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मंत्रालय के अधीन एक पर्षद् ।

श्री नामधारी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों के कोई अभ्यर्थी चुने गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं अभी तत्काल सूचना नहीं दे सकता ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिये भी कोई स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) दी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय: मेरे पास इस की कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्रीमान्, मैं जान सकती हूं, कि सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में कितनी स्त्रियों ने छात्रवृत्तियां प्राप्त कीं ?

श्री के० डी० मालवीय: श्रीमती जी, मैं इसकी पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या यूरोपियनों या अन्य विदेशियों को, जो यहां प्राच्य भाषायें पढ़ना चाहते हैं, छात्रवृत्तियां प्रदान करने का कोई उपबन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी नहीं, यह इसके अन्तर्गत नहीं आता है ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

*७२१. **श्री मादिया गौडा:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भाग ख में के राज्यों के किसी विश्वविद्यालय को गत चार वर्षों में खोज कार्य या किसी अन्य कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिले हैं ;

(ख) यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो किस विश्वविद्यालय को, कितना और किस कार्य के लिये ; तथा

(ग) गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष में भाग क में के राज्यों को, यदि कुछ भी दिया गया हो, तो कितनी धन राशि का अनुदान दिया गया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव: (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३**]

सेना में अंग्रेज

*७२४. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **रक्षा** मंत्री भारत की सेना, नौसेना तथा वायुसेना में नियुक्त अंग्रेजों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): मैं माननीय सदस्य का ध्यान २१ मई, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करूंगा ।

श्री एन० बी० चौधरी: श्रीमान्, म जान सकता हूं कि यह पदाधिकारी सेना में कब तक सेवायुक्त रहेंगे ?

श्री गोपालस्वामी: जब तक भारत सरकार उनकी सेवा आवश्यक समझे ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पांच, दस या सौ वर्षों की कुछ समयाविधि रखी गई है ?

श्री नामधारी: क्या इन चावल खाने वालों से, जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं धीरे धीरे बोलने को कहा जायेगा, जिससे कि हम भी समझ सकें कि वह क्या कहते हैं ?

श्री एन० एस० नायर: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा हमारा अपमान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मुझे ठीक ठीक बतायें कि वह क्या कहना चाहते हैं । प्रश्न काल समाप्त होने पर वह मेरे कक्ष में आ कर मुझे बता सकते हैं ।

श्री एन० एस० नायर: माननीय सदस्य ने कहा कि हम चावल खाने वाले लोग हैं और वह भी अपमानपूर्ण ध्वनि में कहा था ।

श्री नामधारी: माननीय सदस्य जो कुछ कहें उसे सुनने का हमें अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य दूसरों की बात सुनने का अधिकार चाहते हैं, तो सदन की प्रतिष्ठा को और विवाद के उच्चस्तर को बनाये रखना होगा। माननीय सदस्य देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न और इस प्रकार की आपत्तियां कर के हम प्रश्नों के लिये नियत समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। यदि ऐसा किया गया, तो मुख्य प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यदि माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न के प्रसंग में यथासंभव अधिकाधिक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तभी हम अग्रेतर कार्य कर सकते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि भारत की रक्षा सेनाओं में नियुक्त अंग्रेज़ पदाधिकारियों के बारे में क्या इंगलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच कोई समझौता है ?

श्री गोपालस्वामी : उन विशिष्ट पदाधिकारियों के बारे में, जो ब्रिटिश सेवा से लिये जाते हैं, हमें उन की सेवा सम्बन्धी शर्तों आदि के बारे में ब्रिटिश सरकार से कुछ समझौता करना होता है। मैं नहीं जानता कि यह कह कर कि पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करने के विषय में क्या कोई साधारण सा समझौता है माननीय सदस्य किस बात का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या यह पदाधिकारी परामर्शदाताओं के रूप में हैं या वह हमारी प्रशासनिक सेवाओं में नियमित पदाधिकारी हैं ?

श्री गोपालस्वामी : एक या दो परामर्शदाता हैं। पर उन में से अधिकांश नियमित रूप से नियुक्त हैं, वह हमारे सेवायुक्त कर्मचारी हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी रक्षा सेनाओं के अंग्रेज़ पदाधिकारियों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार कुछ कह सकती है ?

श्री गोपालस्वामी : जब तक वह हमारी सेवा में हैं, तो जिन पदाधिकारियों की सेवायें हमें प्राप्त हैं उनके कर्तव्य पालन के विषय में वह कुछ नहीं कह सकती हैं। पर उन को ब्रिटिश सेवा के सदस्य होने के नाते कुछ सेवा अधिकार मिले हुये हैं, और हमारे अधीन उन के कार्य-काल में उन को कुछ सुरक्षण दिये जाते हैं।

श्री बी० जी० देशपांडे : यदि भारत और ब्रिटेन के बीच संघर्ष हो, तो इन पदाधिकारियों का क्या रवैया होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह एक कल्पित प्रश्न है।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या समान पद पर नियुक्त ब्रिटिश और भारतीय कर्मचारियों के बीच उन की सेवादशाओं के सम्बन्ध में कोई अन्तर है ?

श्री गोपालस्वामी : हमारी सेवा में जो नियमित पदों पर नियुक्त हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है।

छात्र सैनिकों को आज्ञप्त अधिकारियों के पद के लिये प्रशिक्षण

***७२५. चौधरी रघुवीर सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ वर्ष में आज्ञप्त अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये नेशनल डिफ़ेन्स एकैडमी, देहरादून में प्रविष्ट किये गये छात्र सैनिकों की संख्या ;

(ख) क्या उन को कोई छात्रवृत्तियां दी गई थीं, और यदि दी गई थीं, तो कितनी ; तथा

(ग) प्रत्येक छात्रसैनिक का मासिक व्यय ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) :(क) से (ग). ३ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । छात्रसैनिकों को केवल जेब खर्च का व्यय उठाना पड़ता है, जो ज्वाइंट सरविस विंग में लगभग ३० रुपये प्रति मास और मिलिटरी विंग में लगभग ४० रुपये प्रति मास होता है, यदि पिता संरक्षक इन व्ययों को वहन न कर सके, तो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दे दी जाती है । एक विवरण, जिसमें ज्वाइंट सरविस विंग और मिलिटरी विंग के उन छात्रसैनिकों की संख्या बतायी गई है, और जिन को उक्त वर्ष में वित्तीय सहायता दी गयी थी और निजी लोगों द्वारा दान स्वरूप दी जाने वाली छात्रवृत्तियां दी गई थीं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४**]

चौधरी रघुवीर सिंह : उन के चुनाव का आधार क्या है ?

श्री गोपालस्वामी: मूलतः वह लोक सेवा आयोग की सहायता से चुने जाते हैं ।

चौधरी रघुवीर सिंह : कितने अभ्यर्थी प्रविष्ट किये गये थे ?

श्री गोपालस्वामी : संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये आवेदन भेजने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार थी :—

ज्वाइंट सरविसेज़ विंग कोर्स—

जनवरी, १९५१	१४२३
अगस्त, १९५१	१९४०
जनवरी, १९५२	२०९५

मिलिटरी विंग कोर्स—

जनवरी, १९५१	३२१४
अगस्त, १९५१	१९४०
जनवरी, १९५२	१८२०

चौधरी रघुवीर सिंह : कितने चुने गये थे ?

श्री गोपालस्वामी : ज्वाइंट सरविसेज विंग कोर्स में अन्त में प्रविष्ट किये गये उम्मीदवारों की संख्या उपर्युक्त समयों के क्रमानुसार क्रमशः १६६, १५९ और १४५ और मिलिटरी विंग के लिये क्रमशः ३०, ६४ और ५२ थी ।

प्रो० अग्रवाल : डाक्टरी परीक्षा में, कितने अस्वीकृत किये गये थे ?

श्री गोपालस्वामी : उन्हीं अवधियों के लिये मैं आंकड़े बताऊंगा : वह ज्वाइंट सरविसेज विंग के लिये क्रमशः २१, ४७ और ४९ थे और मिलिटरी विंग के लिये क्रमशः ६, १० और ११ थे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ ऐसे छात्रसैनिक जो दो तीन पाठ्य कालों तक उपस्थित रह चुके थे, इसलिये निकाल दिये गये थे कि उन में आत्मविश्वास और सैनिक भावना की कमी थी ?

श्री गोपालस्वामी : यह सम्भव है कि कुछ को उस पाठ्यक्रम के अनुपयुक्त सिद्ध होने पर बाहर निकाल दिया गया हो ।

सरदार हुक्म सिंह : दो तीन पाठ्यकाल पूरे करने पर निकाले गय छात्र सैनिकों को हुई कठिनाई को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव पर्षद् से अनुरोध करेगी कि वह पहले ही अध्ययन काल में कोई निर्णय करने का प्रयत्न किया करे ?

श्री गोपालस्वामी : मैं लड़कों और उनके पिताओं दोनों को होने वाली कठिनाई को मानता हूं । सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह विश्वास करना पड़ता है कि हमारे द्वारा लिये गये छात्र-

सैनिक सेना में उपयुक्त अधिकारी सिद्ध हो सकेंगें । जहां तक अस्वीकृत करने वाले अधिकारी का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि एक बार छात्रसैनिकों के एकेडमी में प्रविष्ट हो जाने के बाद वह एकेडमी अधिकारियों के नियंत्रण में होने चाहियें । मैं ग़लत कह रहा होऊं तो मेरी बात में सुधार किया जा सकता है, कि कोई विशिष्ट छात्रसैनिक सरकार के आदेश बिना एकेडमी से नहीं निकाला जाता है । एक दो एसे मामलों पर पहले विचार किये जाने का मुझे स्मरण हो रहा है । फिर भी, यदि मैं ग़लत कह रहा होऊं, तो इसे सुधारा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन विशेषज्ञ

*७११. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन विशेषज्ञों की योग्यतायें तथा व्यवहारिक अनुभव की अवधि क्या है, जो चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन परामर्श देने आये हैं ?

(ख) क्या उन के काम का कुछ अधीक्षण होता है ?

(ग) इन विशेषज्ञों पर उन के भारत में ठहरने तक भत्तों और सुविधाओं के रूप में कितनी धन राशि व्यय होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) एक पूरा पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है और सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) विशेषज्ञ भारत सरकार के उन मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों में नियुक्त हैं, जिन्होंने उन के लिये मांग की थी और उन के कार्य उन के द्वारा ही संचालित किये जाते हैं ।

(ग) भारत सरकार इन विशेषज्ञों को केवल यातायात सुविधायें और साचिव्य सहायता ही देती है, और इस व्यय में स्वभावतः प्रत्येक विशेषज्ञ के विषय में अन्तर हो जाता है । साधारण अनुमान से प्रति विशेषज्ञ लगभग १०,००० रुपये आयेंगे ।

जनता कालेज, अलीपुर

*७१४. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत स्थित अमरीकी राजदूत हाल ही में भारत सरकार के किसी पदाधिकारी के साथ जनता कालेज, अलीपुर गये थे ;

(ख) यदि गये थे, तो कब, किस काम से और किस के साथ ?

(ग) क्या वह भारत सरकार के तत्वाधान में गये थे ;

(घ) क्या भारत सरकार भारत स्थित दूसरे विदेशी प्रतिनिधियों के लिये भी शिक्षा संस्थाओं को देखने के लिये जाने का प्रबन्ध करना चाहती है ; तथा

(ङ) जनता कालेज के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आगे बढ़ाने में इस प्रकार के परिदर्शन से कितनी सहायता मिल सकेगी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग). अमरीकी राजदूत, जिन्होंने जनता कालेज के काम में रुचि प्रकट की थी, १९ मई, १९५२ को शिक्षा सचिव के साथ इस संस्था को देखने गये थे । उनका वहां जाना सरकारी रूप में नहीं था ।

(घ) जब कभी किसी विदेशी कूटनीतिज्ञ या प्रतिष्ठित विदेशी दर्शक ने संस्थाओं को देखने के लिये जाने की इच्छा प्रकट की है, तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा प्रबन्ध

कर दिया गया है । हाल ही में चीन से आये हुये सांस्कृतिक नियोग ने इस देश की कुछ शिक्षा संस्थाओं को देखने की इच्छा प्रकट की थी । सरकार ने इस कार्य के लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध कर दिये । हमारे विदेश स्थित राजदूत भी जहां जाते हैं वहां की शिक्षा विषयक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं में काफी रुचि लेते हैं ।

(ङ) ऐसी भेंट, मुलाक़ातें संस्थाओं के अध्यापकों तथा छात्रों को उन के काम में सार्वजनिक रुचि को प्रोत्साहित करती हैं ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

*७२७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है, और गत पांच वर्षों में दी गयी वार्षिक सरकारी सहायता की राशि क्या है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : विश्वविद्यालय के १९५१-५२ के लेखाओं का अभी परीक्षण नहीं हुआ है । सन् १९५२-५३ के आयव्ययक में साधारण राजस्व लेखा के अधीन ४८,८११ रुपये का और साधारण राज्स्व पूंजी लेखा के अधीन ३,३७,३५८ रुपये का घाटा दिखाया गया है । एक विवरण, जिस में गत पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान बताये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५**]

निर्यात तथा आयात व्यापार

*७३०. **श्री के० के० बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत पांच वर्षों अर्थात् सन् १९४७, १९४८, १९४९, १९५० और १९५१ में संयुक्त राज्य अमरीका, इंगलैंड, सोवियत रूस तथा चीन के साथ हुये निर्यात तथा आयात व्यापार का कुल योग ;

(ख) व्यापार वस्तुओं के नाम ; तथा

(ग) इस व्यापार में अन्तर्गस्त कुल राशि ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग): चार विवरण, जिन में भारत का संयुक्त राज्य अमरीका, इगलैंड, सोवियत रूस और चीन के साथ सन् १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में हुआ आयात-निर्यात व्यापार दिखाया गया है, सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६**]

रुपये का अवमूल्यन

*७३१. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में हमें अवमूल्यन के कारण इन वस्तुओं के लिये कितनी अतिरिक्त धन राशि व्यय करनी पड़ी है :

(१) खाद्य आयात;

(२) नदी घाटी परियोजनाओं तथा कृषिसार परियोजनाओं के लिये पूंजी माल का आयात ;

(३) रेलवे इंजनों, गाड़ियों, डब्बों और रेलवे के अन्य सामान के आयात ;

(४) मोटर कारों और ट्रकों का आयात ; तथा

(५) हमारे विदेशी राजदूतावास ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : माननीय सदस्य द्वारा बतायी गयी विभिन्न मदों पर अवमूल्यन के कारण हुये अतिरिक्त

व्यय को इसलिये नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि आयात के मूल्य में अन्तर न केवल रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन के कारण ही हुआ है, बल्कि विदेशी मूल्यों में उतार-चढ़ाव, हमारी आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं में परिवर्तन होने, विदेशों में सामान की उपलब्धता और अनुमतियोग्य आयात के मूल्य को सीमित करने वाले विदेशी विनिमय साधन जैसे और भी दूसरे कारण हैं।

विदेशी सार्थ

*७३२. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या **वित्त** मंत्री उन विदेशी सार्थों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो पहले भारत से बाहर (देशवार) स्थापित थीं और जिन्होंने विभाजन के पश्चात् अपने आप को भारत में रुपया पूंजी के साथ स्थापित कर लिया है ?

(ख) इन सार्थों की कुल अधिकृत और चुकायी गई पूंजी क्या है ?

(ग) इन में से कितने सार्थों ने भारत के सार्थों के साथ साझीदारी कर ली है ?

(घ) इन सार्थों की कुल अधिकृत पूंजी विभिन्न उद्योगों में किस प्रकार बांटी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (घ). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

सरकारी हार्नेस तथा सैडिलरी फ़ैक्टरी

*७३३. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कानपुर स्थित सरकारी हार्नेस तथा सैडिलरी फ़ैक्टरी, पैराशूट फ़ैक्टरी और स्माल आर्म (छोटे अस्त्र) फ़ैक्टरी के बन्द करने के किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, या उसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इन फ़ैक्टरियों को नागरिक उपयोग का माल बनाने के लिये बदल देने के प्रश्न पर विचार किया है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं; तथा

(ग) क्या इस विषय की पुनः संगठन समिति का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी नहीं, पर रक्षा व्ययों की मदों की सामान्य आर्थिक समीक्षा के सिलसिले में सरकार आर्डनेंस (आयुध) तथा वस्त्र फ़ैक्टरियों समेत कई रक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठापनों को उनके वर्तमान स्वरूप में बनाये रखने के औचित्य पर विचार कर रही है। यह परीक्षण नैत्यिक सा विषय है और साधारण रूप में समय समय पर किया जाता है, पर किसी विशिष्ट प्रतिष्ठापन के निर्देश में ही नहीं।

(ख) इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह फ़ैक्टरियां रक्षा सेवाओं द्वारा अपेक्षित सामान का उत्पादन कर रही हैं। तत्कालीन रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक जो कुछ भी उत्पादन वह कर सकती हैं, उस के लिये तो पहले से ही उन को नागरिकों उपभोक्ताओं के लिये अपेक्षित माल बनाने के काम में लाया जा रहा है।

(ग) अनुमानतः माननीय सदस्य एक विभागीय समिति के प्रतिवेदन का निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा है, तो उस प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखने का कोई विचार नहीं है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में शिक्षा सुधार

*७३४. **बिशप रिचर्डसन**: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय): सन् १९५१ में एक पदाधिकारी को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विकास की एक योजना तैयार करने के लिये अण्डमान भेजा गया था और उस का प्रतिवेदन विचाराधीन है। श्रीगणेश करने के लिये प्रस्तुत वर्ष के आयव्ययक में ३५,००० रुपयों का एक उपबन्ध किया गया है।

आर्डनेंस (आयुध) फ़ैक्टरियों के कर्मचारी

१४३. **श्री एस० एन० दास**: क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या आर्डनेंस फ़ैक्टरियों में सेवायुक्त असैनिक व्यक्तियों के वर्तमान वेतन क्रमों का परीक्षण करने तथा केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये साधनोपाय सुझाने के हेतु नियुक्त की गई जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया है;

(ख) यदि कर दिया है, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार किया है और इस विषय में कोई निर्णय किया है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में कोई निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) समिति से मई, १९५२ तक अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर देने के लिये कहा गया था। अपरिहार्य कारणों से काम रुक गया है। समिति से शीघ्रता करने और अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा गया है।

प्रविधिक सहायता योजनायें

१४४. **श्री नेवटिया**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) वह प्रविधिक सहायता प्राप्त विविध योजनायें क्या हैं, जिन के अधीन भारत ने बाहर से प्रविधिक सहायता प्राप्त की है या कर सकता है और भारतीयों को भी बाहर प्रविधिक प्रशिक्षण दिला सकता है;

(ख) क्या इन विभिन्न योजनाओं के अधीन दादा की गई सुविधाओं के बारे में निजी उद्योगों को सूचित कर दिया गया है;

(ग) क्या निजी उद्योगों से आवेदन प्राप्त हुये हैं, और यदि हुये हैं, तो कितने;

(घ) क्या भारत की आवश्यकताओं के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करने से पहले सरकार इन आवेदनों में सुधार करती है;

(ङ) कितने आवेदन निजी उद्योगों और कितने सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रेषित किये गये हैं; तथा

(च) विभिन्न योजनाओं के अधीन कितने उद्योगों को वास्तविक सहायता मिल चुकी है या मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) वह विविध योजनायें, जिन के अधीन रत को बाहर से प्रशिक्षण सुविधाओं

समेत प्रविधिक सहायता प्राप्त हुई है, या हो रही है, यह है:

(१) संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इस के विशिष्टीकृत अभिकरणों की प्रविधिक सहायता योजनायें;

(२) कोलम्बो योजना के अधीन प्रविधिक सहयोग योजना;

(३) संयुक्त राज्य अमरीका का चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम; तथा

(४) फोर्ड फ़ाउण्डेशन स्कीम (योजना) की प्रविधिक सहायता।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्। निजी उपक्रमों से विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के लिये अब तक प्राप्त हुये आवेदनों की संख्या कुल १७८ है।

(घ) जी हां श्रीमान्।

(ङ) विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के लिये निजी उपक्रमों के १०२ आवेदन और सरकारी ५०४ आवेदन सरकार की ओर से प्रेषित किये गये हैं।

(च) एक मामले को छोड़ कर, जिस में प्रशिक्षण सुविधायें चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन प्राप्त की गई थीं, निजी उपक्रमों के आवेदन अभी विचाराधीन हैं।

Wednesday, 11 June 1952

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, ११ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्षपद पर आसीन थे]

प्रश्न और उतर

[देखिये भाग १]

९·१५ म० पू०

राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधि विस्तार) विधेयक

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी भी राज्य में उस राज्य की सशस्त्र पुलिस के सम्बन्ध में लागू अनुशासन विधियों को, उक्त पुलिस के व्यक्तियों के राज्य से बाहर जाकर काम करते समय भी, उन पर लागू करने की व्यवस्था करने के हेतु एक विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

सामान्य आयव्ययक—अनुदान की मांगें—जारी

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम मांग सं ११ पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। कल से चलने वाली चर्चा १०-१५ तक समाप्त होने वाली है। ११ बजे मतदान होगा। उस से पहिले सभी मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं ने कल यह स्पष्ट कर दिया था कि ११ बजे मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये समय दिया जायगा। मंत्री महोदय ने ४५ मिनिट का समय मांगा। चर्चा १०-१५ तक चलेगी जिससे उन्हें उत्तर देने के लिये समय मिल जायगा। सदस्यों को दोषारोपण, वक्तव्य तथा आवेदन करने में कोई फायदा नहीं। उन्हें सरकार का स्पष्टीकरण मिलना चाहिये। अत: मैं उन्हें यथेष्ट समय दे रहा हूं। उनका दृष्टिकोण सदन तथा जन साधारण के समक्ष आना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मंत्री को ४५ मिनिट मिलना चाहिये और चूंकि कल कांग्रेस दल के सदस्यों ने बहुत समय लिया. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि मेरे पास सदस्यों तथा कुल समय दोनों की सूची है और विरोधी दल के सदस्यों ने तीन घंटे तथा ३९ मिनिट के कुल समय में से एक घंटा तथा ३६ मिनिट लिये। और यह आधे समय के लगभग है।

श्री नम्बियार (मयूरम) : दूसरे दल की ओर से कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यह विदित होना चाहिये कि जब कोई कटौती प्रस्ताव रखा जाता है तो वह सदन की सम्पत्ति के रूप में होता है और सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। भाषण देना, अपनी बातें कहना तथा आलोचना करना केवल विरोधी दल का ही अधिकार नहीं और बात ऐसी नहीं है कि दूसरा दल बहुमत में होने के कारण चुप बैठे रहें । उनका अवश्य उत्तर दिया जाना चाहिये। अब जो समय लग रहा है वह चर्चा का समय नष्ट हो रहा है । अत: सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम समय को सामान्य रूप से विभक्त कर लें । कभी कोई दल कुछ समय अधिक ले सकता है और कभी दूसरा दल। यह सब चर्चा के विषय पर निर्भर है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : सभापति महोदय, कल से रक्षा विभाग के अर्थ संकल्प की मांगों पर जो चर्चा हुई उस चर्चा को सुनते समय मेरा पर्याप्त मनोरंजन हुआ। मैं ने देखा कि जो अहिंसा के पुजारी थे, जो इस में विश्वास रखते थे कि इस देश की रक्षा के लिये अहिंसा का प्रयोग किया जायगा वहीं अब कहते हैं :

"शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिन्ता प्रवर्सते

दूसरी तरफ जो लोग रकत क्रांति में विश्वास करते हैं वह शान्ति परिषद् बुलाने की मांग कर रहे थे और हाउस में इस देश की सेना कम करने की मांग कर रहे थे। मेरी समझ में यह सुरक्षा विभाग का जो अर्थ संकल्प है इस समय इन विचार धाराओं के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उस पर वाद-विवाद करने का समय नहीं है। सुरक्षा का अर्थ संकल्प जब हाउस में आया है और सरकार ने सुरक्षा का भार अपने ऊपर लिया है तब हम मानते हैं कि इस देश में सेना होनी चाहिये। और जब हम सेना का उपयोग ज़रूरी समझते हैं तो मेरा कहना यह है कि इस पर भी वाद-विवाद करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं समझता। वाद-विवाद का प्रश्न केवल इतना ही है कि आज जो देश में कांग्रेस वालों के शासन के समय जो सेना है इस से काम चलने वाला है या नहीं है। सेना की हमें बहुत भारी आवश्यकता है । मेरा यह कहना है कि आज सेना का जो संगठन हो रहा है वह देश की परिस्थिति के अनुकूल हो रहा है या नहीं। हमारा यह अर्थ संकल्प कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति से बंधा हुआ है। हमारी विदेश नीति विशेष प्रकार की होने के कारण हमारा सुरक्षा का अर्थ संकल्प भी इसी प्रकार है और मैं जानता हूं कि इसके कारण आज देश की सुरक्षा खतरे में है।

जब इस देश में पाकिस्तान का निर्माण किया गया, जब उस का जन्म हुआ तो इस बात का बिल्कुल विचार नहीं किया गया कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में कोई नैसर्गिक सीमा नहीं है और, जैसा नेता जी के लैफ्टिनेंट श्री जगन्नाथ राव कृष्णराव भोंसले ने बताया इस देश की २१०० मील लम्बी सीमा है २५०० मील समुद्री सीमा है और पाकिस्तान और हमारे बीच में कोई नैसर्गिक अड़चन न होने के कारण, हमारे देश की रक्षा का प्रश्न विकट है। फिर हमारी सरकार की विदेश नीति के कारण, जिस की प्रशंसा करते कांग्रेस पार्टी कभी नहीं थकती, कम्युनिस्ट भय भी तिब्बत के पास आकर हिन्दुस्तान की सीमा पर आ गया है । काश्मीर के बारे में मेरे एक मित्र ने कांग्रेस पार्टी की

और यहां की नीति की बडी भारी तारीफ की । लेकिन मैं जानता हूं कि काश्मीर का खतरा आज भी कायम है । इस के लिये भी हमारी सरकार की विदेश विषयक नीति ही जिम्मेवार है । मुझे पता है कि इस देश में जब शांन्ति समझौता हुआ, सीज़फ़ायर (युद्धबन्दी) का ट्रूस (सुलह) हुआ, तो यहां के मिलिटरी आफ़िसर से किसी से नहीं पूछा गया और उन से पूछे वग़ैर दुनिया में अपनी शान्ति का जय जयकार करान के लिये सीज़फ़ायर किया गया और यह अग्नि हमारे देश में जलती रखी गयी, जिस के कारण आज भी हम को बड़ा पैसा ख़र्च करना पड़ता है ।

जब मैं इस बजट की तरफ़ देखता हूं और यहां के भाषण सुनता हूं तो मुझे ऐसा भास होने लगता है कि मानों इस समय दुनियां में कोई बड़ा युद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा समझ कर इस देश की सुरक्षा की सिद्धता की जा रही है । लेकिन एक बात ज़रूर है कि काश्मीर के बारे में थोड़ा भय और आशंका शासक वर्ग के हृदय में होने के कारण वह फ़ौज को जो कम करने जा रहे थे, उस को उन्हों ने और बढ़ाया है । लेकिन आप को किसी प्रथम श्रेणी की शक्ति के साथ युद्ध करना है, अमरीका या रूस के साथ युद्ध करना है, यही समझ कर इस देश में तैयारी नहीं हो रही है । मैं यह नहीं चाहता कि आप की किसी देश के साथ लड़ाई हो और यह भी मैं मानने को तैयार हूं कि समीपवर्त्ती भविष्य में हमारी किसी बड़े देश के साथ लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इस देश की सुरक्षा की सिद्धता आप को इसी आधार पर करनी पड़ेगी कि इस देश की लड़ाई किसी बड़ी भारी पावर के साथ रूस, इंगलैंड अथवा अन्य किसी ऐसी ही शक्ति के साथ समीपवर्त्ती भविष्य में लड़नी पड़ेगी और इस लिये इसी बुनियाद व आधार पर हमें इस देश का सैनिक संगठन सुदृढ़ व सबल बनाना चाहिये । लेकिन जब मैं इस डिफ़ेंस बजट के आंकड़ों की तरफ़ देखता हूं तो मुझे इस प्रकार की तैयारी के कोई चिह्न नहीं मिलते । और यह जो १९७ करोड़ का सुरक्षा का अर्थ संकल्प है, उस को मैं पर्याप्त नहीं समझता और मेरा तो उल्टा आक्षेप यह है कि इस देश में जिस प्रकार की सुरक्षा की तैयारी करना आवश्यक है, उस के लिये १९७ करोड़ का बजट काफ़ी नहीं है । परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि इस देश की आर्थिक अवस्था को देखते हुए उस से ज़्यादा ख़र्चा आप नहीं कर सकते थे । और मैं यह भी मानता हूं कि आप अमरीका या दूसरे अन्य बड़े देशों के बराबर सुरक्षा पर रुपया ख़र्च नहीं कर सकते, लेकिन तो भी मैं अपना आक्षेप वापिस लेने को तैयार नहीं हूं । यहां कहा गया कि यहां की फ़ौज बड़ी भारी नहीं है, मैं इस को मानता हूं, लेकिन जैसा कुछ मित्रों ने सुझाव दिया है कि यह सेना कम होनी चाहिये, मैं उस से सहमत नहीं । मेरा कहना है कि आज जो यह २२६ करोड़ का ग्रास ऐक्सपेंडीचर (कुल व्यय) है उस २२६ करोड़ में से मैं देखता हूं कि केवल ७७ करोड़ रुपया सिविल ऐन्ड मिलिटरी परसनल (असैनिक तथा सैनिक कर्मचारी) पर ख़र्च किया जा रहा है । दूसरे हैड्स (शीर्षों) के अन्दर काफ़ी एकोनोमी और सेविंग (बचत) की गुंजायश है । यह जो इंगलैंड से स्टोर परचेज़ (सामान ख़रीदने) के निमित्त करोड़ों रुपया ख़र्च हो रहा है, उस में काफ़ी कमी की जा सकती है । इस हाउस में सभागृह काफ़ी समय से जीप स्कैन्डल्स (जीपों की गड़बड़ी) तथा अन्य दूसरी करप्शन (भ्रष्टाचार) और वेस्ट आफ़ पब्लिक मनी (जनता के धन का अपव्यय) की चर्चा चलती रही है कि किस प्रकार का करप्शन और रुपये का वेस्टेज इन में होता है । पब्लिक एकाउन्टस कमेटी

[श्री वी० जं० देशपांडे]

(लोक लेखा समिति) की रिपोर्ट भी आप देख लीजिये जो सालहा साल इसी बात की शिकायत करती रही है और किस तरह से बजटेड एस्टीमेटस (आय व्ययक प्राक्कलनों) से ज्यादा ख़र्च बिना उस की पूर्व स्वीकृति के वहां पर होता रहा है, यह सब होने के पश्चात् भी हम देखते हैं कि उस दिशा में कोई सुधार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। एक मिलेटरी एक्सपर्ट (सेना सज्ञ) ने मुझे बताया है कि इसी १९७ करोड़ के बजट में आज से दुगनी फ़ौज हम भर्ती कर सकते हैं, और उस में काफ़ी एकोनामी (मितव्ययता) हो सकती है।

जो ग़रीब देश है उनको सोचना पड़ेगा कि जब दुनिया में रूस और अमरीका दो मोरचे बने हैं और दुनिया में बड़ी भारी लड़ाई होने वाली है, तो हमें भी अपना सैनिक संगठन किस प्रकार से करना आवश्यक है। यह ठीक है कि आप के पास उतना पैसा नहीं है, तो भी आप को अपने देश का सेना संगठन इस प्रकार से करना पड़ेगा कि उस में पैसा भी कम लगे और देश की सुरक्षा का भी समुचित प्रबन्ध हो। मैं आक्षेप करना चाहता हूं कि इस देश की सुरक्षा के बारे में कोई ख़ास निश्चित योजना हमारे पास नहीं है। देश की रक्षा के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। मैं ने रिपोर्ट पढ़ी तो उस में आर्म्ड फ़ोरसेज़ (सशस्त्र सेनाओं) के रिआरगेनाइज़ेशन (पुनर्संगठन) के बारे में ज़िक्र है और उस में बड़ी तारीफ़ की गई है कि हम ने इस तरह सेना का पुनर्संगठन और रिआरगेनाइज़ेशन किया। सेना का कोई पुनर्संगठन नहीं है, किन्तु पूरी रक्षा सेवा में पूर्ण असंगठन और अव्यवस्था है। मेरी समझ में तो यह पुनर्संगठन नहीं बल्कि डिफ़ेन्स फ़ौरसेज़ का डिसआरगेनाइज़ेशन, डिस्लोकेशन (विघटन) और असंगठन ही किया गया है। पहले कमान्डर इन चीफ़ (प्रधान सेनापति) जल, थल और नभ तीनों प्रकार की आर्मीज़ (सेना) का हेड (मुखिया) होता था और वही डिफ़ेन्स मिनिस्टर (रक्षा मंत्री) होता था, अब उन्हों ने यह कर दिया है कि कमांडर इन चीफ़ सिर्फ़ ग्राउन्ड आर्मी (भू-सेना) का हैड रहेगा, बाक़ी ऐयर और नेवी के अलग अलग हैड्स होंगे और इन तीनों में कोआरडिनेशन (समन्वय) का भार सिविलयन डिफ़ेन्स मिनिस्टर के हाथ में दे दिया गया है। रक्षा मंत्री की योग्यता तथा कार्यक्षमता पर कोई आक्षेप किये बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री इस देश की रक्षा सेवा का पुनर्संगठन तथा योजित करने में सक्षम नहीं हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक सेना का कोई अनुभवी और सैन्य शास्त्र का ज्ञाता इस का संचालन नहीं करता तब तक इस देश का सैनिक संगठन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। मुझे शक है और मेरे हृदय में यह सन्देह है कि आप ने नेवी व ऐयर पर जो ब्रिटिश अफ़सर नियुक्त किये हुए हैं, वह एक हिन्दुस्तानी सेनापति के अन्तर्गत काम करने के लिये तैयार नहीं दिखाई पड़ते, और इसी कारण उन का विघटन कर दिया है और विघटन करने के पश्चात् यह कार्यभार सिविलयन डिफ़ेन्स मिनिस्टर (असैनिक रक्षा मंत्री) के पास चला गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में आप के पास सेना विशेषज्ञ नहीं हैं? मैं बतलाना चाहता हूं कि सैनिक शास्त्र के एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों) की यहां कमी नहीं है और इसी हाउस में मेजर जनरल भौंसले जैसे सेनातज्ञ मौजूद हैं, और उन की सेवायें आप इस कार्य के लिये ले सकते हैं। आप का जो जल, थल और नभ सेना का संगठन है, वह अच्छा और पर्याप्त नहीं है। ऐयरक्राफ्ट्स कैरियरर्स (वायुयान वाहक) भी आप के पास नहीं हैं और उस के न होने के कारण

आप का सेना संगठन का काम अधरा और अपर्याप्त है। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि पुनः सेना के यह तीनों विंगस् एक कमान्ड और नेतृत्व के अन्दर आयें और उस हेतु इस हाउस आफ दी पीपुल और बाहर के लोगों का सहयोग हासिल किया जाये और एक डिफेंन्स कौंसिल (रक्षा समिति) का निर्माण किया जाय। इस के अलावा आप की मिलेटरी के अन्दर आज भी अनेक ब्रिटिश अफसर हैं। जब यहां यह पूछा गया कि उन की संख्या कितनी है और मैं ने जब यह प्रश्न किया कि यह ब्रिटिश सेना अफसर भारत और इंगलैण्ड के बीच यदि विरोध उठ खड़ा होता है तो क्या करेंगे, तो मुझे इस का कोई जवाब नहीं दिया गया और क्या आप देखते नहीं हैं कि काश्मीर के मामले में इंगलैण्ड और हिन्दुतान दोनों देशों की नीति में विरोध है। क्या आप को भारत को पता नहीं है कि पाकिस्तान ने जब काश्मीर पर हमला करना चाहा तब वहां के इंगलिश कंमान्डर इन चीफ ने पाकिस्तान की मदद करने से इंकार कर दिया। क्या हिन्दुस्तान के बारे में ऐसा ही प्रश्न उत्पन्न हो सकता है? मेरा मत है कि आप सेना विशेष यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैण्ड) अमरीका व रूस से मत मंगाइये, क्योंकि यह आप के विरोध में जा सकते हैं। क्या इन देशों के अलावा आप को और कहीं से मिलटरी एक्सपर्टस प्राप्त नहीं हो सकते? हमें इस काम के लिये इटली, जर्मनी और जापान से सेनातज्ञ प्राप्त हो सकते थे। वहां से मिलेटरी जीनस (सैन्ययोग्यता) हमें मिल सकता था। मैं रूस, अमरीका और इंग्लैंड से ऐक्सपर्ट बुलाने के विरुद्ध हूं। हम जर्मनी जापान व इटली से इन को बुलायें। इस देश में सेना का जिस प्रकार से संगठन किया जा रहा है उस के बारे में मैं दो ही शब्द कहना चाहूंगा। आप स्टैन्डिंग आर्मी (स्थायी सेना) थोड़ी रख सकते हैं इस के अलावा आप देश के सब लोगों को मिलटरी ट्रेनिंग दे सकते हैं और गुरिला स्कैवड्स (छापेमार दस्ते) संगठित कर सकते हैं। और इन गुरिला स्क्वैडस् के ज़रिये देश का अच्छी तरह से सैनिक संगठन हम कर सकते हैं। इस के अलावा आप जो माल इंग्लैण्ड आदि देशों से खरीदते हैं, उस के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो जीपस् इस्कैन्डल हुआ, वह सब को पता है और यहां पर उसके बारे में अनेक बार चर्चा हुई है। मैं तो इस सिद्धांत के ही विरुद्ध हूं कि बाहर से युद्ध सामग्री मंगाई जाये, और इंग्लैंड व अमरीका से तो लेने के लिये मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं। मैं सुरक्षा विभाग के मंत्री महोदय से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश को आज़ाद हुए पांच साल हो गये हैं और क्या कभी आप ने इस बारे में सोचा है कि अगर किसी प्रथम श्रेणी की शक्ति के साथ आप की लड़ाई होती है तो उस अवस्था में क्या इंग्लैंड व अमरीका आप को सहयोग और सक्रिय मदद देंगे? आप को वह जीपस् व ऐरोपलेनस् (वायुयान) देते नहीं, ऐसी अवस्था में आप कितने दिनों तक उस शक्ति के साथ लड़ाई में टिक सकेंगे? दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आज़ादी को प्राप्त हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सैनिक सुरक्षा की योजना हमारे देश में नहीं बन पायी है। कल लड़ाई होती है, और यदि इंग्लैंड आप के विरुद्ध है तो आप को माल देने से इंकार कर सकता है। आप की खबर भी उन को मिल सकती है। आप को इस अवस्था में जान बूझ कर खराब माल आप को सैबोटेज न करने के लिये दे सकता है। इस के लिये मैं मांग करता हूं कि पांच साल की या कोई मुनासिब

[श्री वी० जी० देसपांडे]

समय की योजना बना कर उस को सब के ऊपर प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दे कर आप काम कीजिये, जिसमें युद्ध सामग्री के मामले हमारा देश स्वयंपूर्ण हो जाय ।

इस देश की सेना की यहां बहुत स्तुति की गई है इस प्रशंसा में मैं भी सम्मिलित हूं लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि झो यहां की सेना बड़ी अच्छी है, बड़ी बहादुर है उस का कारण आज की सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है । वह इतनी अच्छी है तो इस पार्टी के बावजूद भी है । यह हम ने काश्मीर और बाक़ी जगहों में देखा है । लेकिन जैसा इस देश की विदेश नीति चल रही है उस के कारण फौज के बहादुरी के साथ लड़ने पर भी हम उस का पूरा फायदा नहीं उठा सकते । काश्मीर में हमारी फौजें बहादुरी के साथ लड़ीं लेकिन सीज़ फायर के कारण आधा काश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया । आज हिन्दुस्तान को आज़ाद हुए पांच साल हुए, आप ने इस बीच में क्या किया आप ने आधा काश्मीर खो दिया है और डिफेन्स डिपार्टमेंट हमें आ कर बता रहा है कि आप की फ़तह हो रही है । दुनियां में ऐसी डिफेन्स और फारेन पालिसी (विदेश नीति) कहीं देखी नहीं गई ।

आगे चल कर मैं एक बड़े नाज़ुक और बड़े खतरनाक विषय पर बोलने वाला हूं । यह धर्म निरपेक्ष राज्य में मैं बोल रहा हूं इसलिये शायद विधान से सम्बन्धित लोगों को यह अच्छा नहीं मालूम होगा, किन्तु डिफेन्स तथा सुरक्षा विभाग कोई कल्पना का विभाग नहीं है, कोई आदर्श का विभाग नहीं है, स्वप्न का विभाग नहीं है । सत्यदृष्टि का विभाग होने के कारण मुझे यह कठोर सत्य कहना पड़ता है कि भारत की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है । आज हम चाहें या न चाहें यह भूलने के लिये हम कितना ही प्रयत्न करें लेकिन भूलना असम्भव है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्श ज़रूर होने वाला है । इस देश की सुरक्षा की तैयारी करते वक्त हम देखते हैं कि आधा काश्मीर आज भी पाकिस्तान के हाथ में है । पाकिस्तान ने आक्रमण कर के हमारे मुल्क को अपनी तरफ खींच लिया है । यह बात हम भूलने के लिये तैयार नहीं हैं, और यहां के सुरक्षा विभाग को इस के बारे में मैं एक इशारा देना चाहता हूं । इस देश के रहने वाले किसी भी सम्प्रदाय विशेष पर या उस सम्प्रदाय के सामान्य अपवादों पर किसी भी प्रकार का एस्परशन (आक्षेप) नहीं डालना चाहता हूं और जो हमारा विधान है उस के भी विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता हूं । परन्तु सुरक्षा का विचार करते वक्त मैं सेना विभाग को एक ही इशारा देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हो तो आप को इस बात को देखना पड़ेगा कि पिछले सन् १९४५ के निर्वाचन में इस देश के किस किस सम्प्रदाय ने किस किस प्रकार का मत दिया था । किन लोगों ने ९० फी सदी या इस से भी ज्यादा परिमाण में पाकिस्तान बनने के लिये अपना मतदान किया था, यह सोच कर आप को मिलेटरी पर्सेनल ठीक करना पड़ेगा कि इस मिलिटरी में किस सम्प्रदाय के लोगों को किस परिमाण में लेना चाहिये । मैं जानता हूं कि हमारे संविधान में धर्म या जाति के अनुरूप किसी में भेद करने की इच्छा नहीं है, परन्तु जिस प्रकार हम देश की सुरक्षा के लिये नागरिक स्वतंत्रय का संकोच करते हैं, उसी प्रकार से किसी सम्प्रदाय के प्रति कोई दुर्भावना न रखते हुए देश की सुरक्षा के विचार से हमें यह भेद करना पड़ेगा । यह सूचना मैं देना चाहता हूं ।

काश्मीर की लड़ाई में मुझे पता है कि महाराज हरी सिंह की एक पूरी रेजिमेंट पाकिस्तान के साथ मिल गई थी।

इस के पश्चात् देश की सुरक्षा के बारे में मैं अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ सभा के सामने रखना चाहता हूं। जब पाकिस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे थे सन् १९५० में, तो मैं पूर्वी बंगाल की सीमा पर गया था। उस सीमा पर कुछ विशेष सम्प्रदाय के देहात थे। वहां मैं ने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौजें इधर के देहातों में आती थीं, और लोगों पर छिप कर हमले करती थीं, तथा फ़िर पाकिस्तान की सीमा में वापस चली जाती थीं। इस के लिये मैं ने सूचना भी दी थी कि जब ऐसे संकट काल का अवसर आया है तब सीमा पर के एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों को सीमा से निकाल लेना चाहिये, लेकिन यह बात वहां नहीं मानी गई।

मैं अपना भाषण एक ही बात कह कर समाप्त करने वाला हूं। इस देश की सुरक्षा किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है. वह एक पृथक प्रश्न है जिस प्रकार सत्तारूढ़ दल के लोग अपना आत्म बलिदान करने के लिये तैयार हैं उसी प्रकार देश की सुरक्षा के लिये इस देश के सब लोग, और उन में विरोधी दल के लोग भी शामिल हैं, आत्म बल्दिान करने के लिये तैयार हैं।

सरदार मजीठिया (तरन तारन) : प्रारम्भ में ही मैं आई० एन० ए० के अपने मित्र मेजर-जनरल भौंसले के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं जो उन्होंने सेना के विषय में कहे हैं। सदन के इस पक्ष के हम सब सदस्य रक्षा सेवाओं में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, न केवल अधिकारियों अपितु सैनिक से ले कर सर्वोच अधिकारी तक, सभी पर गर्व है। वे वहां बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

मैं वायु सेना के विषय में विशेष रूप से कहना चाहता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि उस सेना की ओर, जिस ने अपने आरम्भ काल से इतने थोड़े समय में बहुत अधिक काम किया है, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि वायु सेना के ही कारण कश्मीर बच सका। स्थल सेना ने वहां जो काम किया है उसे मैं कम नहीं बताना चाहता। किन्तु यह वायु सेना तथा अन्य असैनिक परिवहन वायुयान ही थे जिन्होंने उस समय सहायता की और हमारी सेनाओं को काश्मीर के उस महत्वपूर्ण स्थान पर ले गये जिस के कारण अन्ततोगत्वा उस स्थान को अपने अधिकार में रखने में सहायता मिली। इस के अतिरिक्त, यदि हम विगत काल को देखें तो हमें बर्मा की गत लड़ाई में भी यही बात मिलती है। वायुसेना ने ही यानों से आवश्यक वस्तुओं को गिराकर सैनिकों को यानों से उतार कर सहायता की थी, इतना ही नहीं जब कि सैनिक शत्रु प्रदेश में सैकड़ों मील अन्दर थे उनका भरण-पोषण भी किया। अब हमारी भी एक वायु सेना है जिसमें इस समय लड़ाकू दस्तों को अधिक महत्व दिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि हमारी वायुसेना न केवल अपने संगठन में बहुत असन्तुलित है अपितु अन्य सेनाओं अर्थात् सेना की तुलना में भी। यह अपने संगठन में असन्तुलित है क्योंकि जैसा कि मैंने पहिले बताया इस सेना में लड़ाकू दस्ते हैं और मैं समझ सकता हूं एक या दो परिवहन (स्क्वेड्रन) हैं। हमें तो ऐसी वायुसेना की आवश्यकता है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके—हमारा किसी प्रकार के आक्रमण का विचार नहीं है, किन्तु हम अपने देश पर किसी भी बाह्य आक्रमण का सफलता पूर्वक सामना कर सकें। और सब से पहिली चीज़ मुझे यह

[सरदार मजीठिया]

मालूम देती है कि यदि कोई आक्रमण हो भी तो इसका सामना स्थल पर करना पड़ेगा। ऐसे मामले में सब से पहिली बात यह होती है कि दूसरे देश की वायु सेना के बम वर्षक यान आ कर हमारे सामरिक महत्व के स्थानों पर बम वर्षा करते हैं, और वे हमारे प्रतिरक्षा के स्थानो को कमज़ोर कर देते हैं। इन को रोकने का केवल प्रभावकारी साधन लड़ाकू दस्ते हैं। आज इन लड़ाकू दस्तों में काम करने वाले कर्मचारियों को मैं बहुत अच्छा समझता हूं, किन्तु मेरा सुझाव यह है कि वायुसेना के आज कल के वायुयान यदि किसी प्रथम श्रेणी की शक्ति से युद्ध हो तो उस स्थिति में हमारे वायुयान उसका पूरी तरह से सामना नहीं कर सकते। हमें इस विषय में अकर्मण्य नहीं रहना चाहिये और यह न कहना चाहिये कि हमारी वायु सेना में जेट्स यान हैं, किन्तु हमें इससे अधिक करना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे पास आधुनिकतम प्रकार के जेट यान हों और वे जेट यान न हों जो कि प्रायः आर० ए० एफ० में भी काम में नहीं लाये जा रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं पहिले ही कह चुका हूं वह सेना के सम्बन्ध में है। हमारी सेना बहुत बड़ी है और जब सेना शत्रु प्रदेश के बहुत अन्दर के भागों में हो--जैसा कि कभी कभी सेना शत्रु प्रदेश में होती है---तो उसको खाद्य तथा अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिये हमारे पास बहुत बड़े परिवहन दस्ते होने चाहियें जो कि सेना को आवश्यक सामग्री पहुंचाने के जैसे बड़े काम तथा उन को वहां से निकालने का काम भी कुशलतापूर्वक कर सकें।

विरोधी दल ने सामाजिक तथा अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में सेना से कार्य लेने के बारे में कहा है। मैं नहीं जानता कि उनके कहने का क्या अभिप्राय है। यदि हम इस बात को देखें तो हमें पता लगेगा कि देश के विभाजन के पश्चात् उस दुख घटना के फलस्वरूप निष्क्रमण काल में हमारी सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। जब असैनिक अधिकारी वर्ग शासन तथा व्यवस्था बनाये रखने में स्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं तो उस समय भी सेना से काम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और पहलू भी है जिसकी ओर सम्भवतः यहां के सदस्यों विशेषकर विरोधी दल के सदस्यों का ध्यान नहीं जाता। मुझे मालूम है कि सैनिक अपने आपको अपने देश का प्रथम सेवक समझता है और मुझे कहते हुये गर्व है कि हमारी रक्षा सेवाओं का भारतीय भी अपने को भी ऐसा ही समझता है। वह अपने कार्य में औरों से एक कदम आगे है और जब वह सेवा निवृत्त हो जाता है तब भी वह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाये रखने में योग देता है। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको उदाहरण दूं किन्तु मैं इतना बताऊंगा कि सेवा-निवृत्ति के पश्चात् वृद्ध सैनिकों ने लायलपुर, शेखुपुरा, सरगोधा तथा मांटगुमरी में भूमि को कृषि योग्य बनाया और बहुत अच्छी फसलें पैदा की, वे फसलें दूसरे भागों से अच्छी थीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाखरा बांध बन जाने पर वे सैनिक पुनः कार्य पर लग जायेंगे और जो भूमि अब बंजर पड़ी है उसको इस प्रकार विकसित करेंगे और उसे वैसे ही उपजाऊ भूमि बना देंगे जिसमें खूब घनी फसलें पैदा होती थीं और जो भूमि अब पाकिस्तान में है। यह भी समाज सेवा कार्य है।

किन्तु मुझे भय है कि यदि हम इस पहलू पर बहुत अधिक ज़ोर दें तो हम

एक महत्वपूर्ण भाग की उपेक्षा करेंगे, वह है हमारे सैनिकों की प्रशिक्षा । आज की लड़ाकू यूनिटें (सेना की टुकड़ियां) वैसे ही लड़ाकू यूनिटें नहीं है जो बीस वर्ष और सम्भवतः तीस वर्ष पूर्व थीं । उस समय तो केवल इसी बात की आवश्यकता थी कि सैनिक खूब अच्छी प्रकार से ड्रिल कर सकता हो तथा रायफिल को भी अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकता हो । आज कल रक्षा सेवायें अपने अपने विशेष कार्यों में निपुण होती हैं । हम वायु सेना के विमान चालक को ही लें । उसको केवल यह ही नहीं मालूम होना चाहिये कि वायुयान कैसे चलाया जाता है, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को नियंत्रण में रखा जाय अपितु उसे न केवल वायुयान तथा अन्य यंत्रों के विषय में ही किन्तु वायुयान के वायरलेस, तथा मशीनगनों के बारे में भी कि कैसे चलती हैं उनमें क्या खराबी हो सकती है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता आदि बातें भी मालूम होनी चाहियें । इन सब बातों में समय लगता है और इसके लिये निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये उन्हें ठीक रहने के लिये निरन्तर अध्ययन की भी आवश्यकता है । हमारी सेनाओं के टैंकों के साथ भी यही मामला है । टैंकों में यह बात नहीं होती कि उनके अन्दर केवल सैनिक बैठते हैं और उसे चलाते हैं । टैंक तो बहुत जटिल मशीन होती है, इसके बहुत से भाग गतिशील होते हैं, और जब तक किसी सैनिक को यह न मालूम हो उसका प्रत्येक भाग किस प्रकार कार्य करता है तो वह रक्षा सेवा में उतना कुशल नहीं हो सकता जितना कि हम चाहते हैं कि वह हो । हम यह चाहते हैं कि हमारी रक्षा-सेनायें अत्यधिक कुशल हों, जैसा कि सदन के दोनों पक्षों ने कहा है । किन्तु इससे हम एक ऐसी प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं जिससे उनकी कुशलता में कमी आती है, अर्थात् उनको ऐसे काम में लगाना जिससे उनके प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है । अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि अन्य दूसरे काम की अपेक्षा, जिसका यहां उल्लेख किया गया है, हमें उन के प्रशिक्षण तथा कुशलता के पहलू पर अधिक जोर देना चाहिये । किन्तु सदन में यह बात बहुत बार कही गई है कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ी जैसा कि रायलासीमा में हुआ, हमारे सैनिकों ने असैनिकों की सहायता की, और मैं रक्षा मंत्री को इस साहसपूर्ण पग उठाने के लिये और सेना के प्रधान सेनापति को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने यह निश्चय किया कि चाहे इस काम में सेना की सैन्य सज्जा सामग्री को हानि भी हो, जिसके स्थान पर सेना को और सामग्री प्राप्त करना दुर्लभ हो तो भी सेना को अपना कर्त्तव्य निभाना है ।

मुझे एक बात यह कहनी है कि हम सैन्य उपकरणों को समान स्तर पर करके हम बहुत धन बचा सकते हैं । उदाहरण के लिये मैं यह कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि असैनिक और सैन्य उपकरणों में संयोजन हो । आपको केवल एक मामला बताने के लिये मैं संचरण व्यवस्था का उल्लेख करूंगा । हमारी अपनी वायरलस व्यवस्था है जिसके द्वारा हम संचरण कार्य करते हैं । यदि रक्षा सेवायें, अर्थात् सेना, वायुसेना तथा जल सेना तथा गृह विभाग, अर्थात् पुलिस सहयोग कर सकें और अपनी व्यवस्था को समान स्तर पर ला सकें तो मुझे विश्वास है कि इसमें कम धन व्यय होगा और साथ में इसके उद्योग को भी सहायता मिलेगी जिसे सहायता की इतनी अधिक आवश्यकता है । मेरा तो यह विचार था कि भारत इन वस्तुओं के निर्माण का केन्द्र बन जायेगा, और न केवल यह आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा अपितु पूर्व के अन्य देशों

[सरदार मजिठिया]

को भी, जिन्हें कि ये वस्तुयें इगलैंड अथवा अमेरिका की वस्तुओं से सस्ती तथा आसानी से बदली जा सकने योग्य मालूम पड़ेगी ये वस्तुयें भेज सकता है । वेतन और भत्ते के विषय में सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है । यह कहा गया है कि ये बहुत अधिक हैं । यदि आप यह चाहते हैं कि हमारे सैनिकों का नेतृत्व अच्छे प्रकार के अधिकारी करें, तो आपको उन्हें कम से कम वही वेतन तो देना ही चाहिये जो कि उन्हें असैनिक अधिकारी के रूप में मिल सकता । हमारे सैनिक बहुत खतरे का काम कर रहे हैं । उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता है, और यदि हम उन्हें वही वेतन दें जो कि हम अपने अन्य कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों को देते हैं, तो मुझे भय है कि हमें अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अच्छे व्यक्ति नहीं मिल सकते ।

इन शब्दों के साथ मैं फ़िर रक्षा मंत्री को इस आयव्ययक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं, जिसका मैं पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं ।

श्री नम्बियार : हम इस आयव्ययक की चर्चा करते रहे हैं और दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी सेना संतुष्ट रहनी चाहिये, वह शक्तिशाली हो तथा इस का पृष्ठ पोषक वर्ग भी संतुष्ट रहना चाहिये । हमारे इस कहने में कोई भी औचित्य नहीं कि जब कभी भी कोई अवसर आ पड़े तो हमारी सेना देश की रक्षा कर सकती है। निस्संदेह, इस दल के हम सदस्य शक्तिशाली राष्ट्रीय रक्षा सेना की आवश्यकता का विरोध अथवा उसे कम नहीं करना चाहते । हम एक शक्तिशाली राष्ट्रीय रक्षा सेना चाहते हैं, किंतु यह सच्चे अर्थ में शक्तिशाली होनी चाहिये । जैसी कि हमारी वर्तमान सेना है केवल ऐसी कल्पना में ही शक्तिशाली नहीं होनी चाहिये । हमें इस मामले का कोई यथार्थ हल ढूंढना चाहिये और यह देखना चाहिये कि आज हमारी सेना आत्म-संतुष्ट तथा शक्तिशाली है या नहीं ।

पहिले मैं अन्य वर्गों (अदर रैंक्स) को लेता हूं जिन की दशा आज कल खराब है । एक साधारण सैनिक को आरम्भ में २२ रुपये आठ आना वेतन मिलता है । प्रत्येक पांच वर्ष में उसके ढाई रुपये बढ़ जाते हैं और उस को सेवा के अन्तिम दिनों में ३० रुपये से अधिक नहीं मिलते । उस को अपने साथ अपने परिवार को रखने का मौका भी नहीं मिलता । सैनिकों को मकान नहीं मिलते । आज केवल १४ प्रतिशत सैनिकों को अपने परिवार लाने का मौका मिलता है, वह भी केवल बारी बारी से लाकर तम्बुओं में रखते हैं, जब अधिकारियों का मामला बिल्कुल दूसरा ही है । आप सैनिक अधिकारियों के लिये जो कुछ करते हैं उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं । सैनिक अधिकारियों की भी देख रेख की जानी चाहिये, किंतु अधिकारियों तथा अन्य वर्गों के बीच इतना विभेद क्यों होना चाहिये ? यदि ऐसी बात होती है और यदि अधिकारी उसी पुराने अनुत्तर दायित्वपूर्ण व्यवहार करते हैं तो मुझे भय है कि सैनिक अधिकारियों तथा अन्य वर्गों में अच्छे संबंध नहीं रह सकते और जब तक इन दोनों के बीच अच्छे संबंध न हों, तो आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि इतनी बड़ी सेना को जो कार्य सौंपा गया वह उसे कर सकेगी ? मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं । मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि अन्य लोगों में आत्महत्या की बहुत दुर्घटनायें हो रही हैं— ये आत्म-हत्यायें उनके प्रति किये गये दुर्व्यवहार के कारण हो रही हैं । हम इस सदन में बैठकर रक्षा के प्रश्न पर बहुत बातें करते हैं

किंतु इस स्थिति पर ध्यान नहीं देते, और जब तक हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, हमारी सेना आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने में अच्छी सेना नहीं होगी।

मैं यहां इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हम सेना के निम्न वर्गों में छंटनी नहीं करना चाहते। हमारे इन सैनिकों को सेना में ही रहना चाहिये किंतु उनका समय अनावश्यक कार्यों में नहीं नष्ट किया जाना चाहिये। सेना से पुनर्रचनात्मक कार्यों में काम लेना चाहिये ताकि उस पर व्यय किया गया राष्ट्र का धन ठीक प्रकार से लग सके और जिसके बिना जनता सेना के व्यय का भार संभाल नहीं सकती। जितना पैसा हम सेना, सेना के टैकिनीकल उपकरणों तथा उच्च पदों पर व्यय करते हैं, यदि उसे सेना में छंटनी किये बिना राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा दिया जाये तो हमारी सेना बहुत अच्छी तथा शक्ति शाली हो जायेगी। सेना में अन्धाधुन्ध छंटनी नहीं होनी चाहिये। हम छटनी के पक्ष में नहीं हैं किंतु हमारा कहना यह है कि इस विभाग पर यह अपव्यय न किया जाय। मैं सदस्यों से पूछता हूं कि सेना पर अपव्यय नहीं हो रहा है ? करोड़ों रुपयों के ठेके दिये जा रहे हैं और इतना धन नष्ट किया जा रहा है।

१० म० पू०

नौ सेना में नाविकों के प्रति सन्तोषजनक व्यवहार नहीं होता। मैं ने संसद् सदस्य के रूप में नहीं अपितु एक सैनिक के मित्र के रूप में उन तम्बुओं को देखा है जिन में ये नाविक तथा सैनिक रहते हैं। ये तम्बू पशुओं के रहने के शेड के समान लगते हैं। सैनिकों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता है। मैं ऐसा रक्षा मंत्री अथवा भारत सरकार पर आक्षेप करने के लिये नहीं कहता अपितु वास्तविकता ही ऐसी है। इस स्थिति में सुधार होना चाहिये।

निस्सन्देह सैनिक अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये किन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि उन का वेतन ३,००० रुपये और ४,००० रुपये होना चाहिये। भारतीय सैनिक अधिकारी देशभक्त हैं और वे कम वेतन पर भी राष्ट्र की सेवा करने को उद्यत हैं। उन का ध्येय वेतन नहीं है। क्या आप उन की देशभक्ति की भावना बढ़ा सकते हैं। यदि आप नहीं बढ़ा सकते तो इतना सब धन व्यर्थ होगा। उन में देशभक्ति और राष्ट्र भावना उत्पन्न करिये। आप ने उन के ऊपर अंग्रेज़ आयुक्त सेनाधिकारी लगा रखे हैं और जब भारतीय सेनाधिकारी टैक्निकल परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाती। यह परीक्षा प्रथा क्या समाप्त करदी गई ? इन अंग्रेज़ आयुक्त सेनाधिकारियों के कारण भारतीय सेना के अधिकारियों, सैनिकों तथा नौ सेना और वायु सेना में असन्तोष की भावना है।

मैं एक उदाहरण दूंगा। तम्बारन, मद्रास में श्री अचार ने १५ मार्च, १९५१ को अपने आप को गोली मार ली और मर गया। कोरपोरल ईरानी ने खराब आलू की शिकायत की। मद्रास में सैनिक न्यायालय द्वारा अभियोग चलाया गया। मैं ऐसे सैंकड़ों मामले बता सकता हूं। इस प्रश्न पर उचित रूप से विचार होना चाहिये। रक्षा मंत्री तथा मंत्रिमंडल को इस विषय पर विचार करना चाहिये। हम साम्यवादी यह तो नहीं कहते कि देश की रक्षा व्यवस्था कमज़ोर होनी चाहिये। हमें आक्रमण कारी के विरुद्ध शक्तिशाली सेना बनानी चाहिये।

क्या यह सत्य नहीं है कि जनवरी, १९५१ तथा अप्रैल, १९५२ के बीच ४४ अंग्रेज़ी वैम्पायर वायुयानों को मलाया के विद्रोह को दबाने के लिये भारत हो कर जाने दिया गया था ? क्या हमारी वायु सेना ने उन्हें पैट्रोल आदि वस्तुयें नहीं दी थीं ? मैं आप को

[श्री नम्बियार]

यह आदेश दिखा सकता हूं जिस में भारतीय वायु सेना तथा नौ-सेना के सेना नायकों ने यह कहा था कि इन जहाज़ों को सुविधायें दी जायें। क्या हम अपनी तटस्थनीति के आधार पर अंग्रेज़ों के वायुयानों को अपने देश में से हो कर जाने दे रहे हैं ? हमारी सेना में अंग्रेज़ अधिकारी परामर्शदाताओं के रूप में नहीं हैं, किन्तु सेना के कुछ भागों सेना नायकों के रूप में हैं। युद्ध के समय यह हमारे लिये बड़े हानिकारक सिद्ध होंगे । तो इन अंग्रेज़ों की मंत्रण सेना क्यों रहे ? इस लिये कि आप चाहते हैं कि मलाया वालों को दबाया जाये। आप कहते हैं कि हम तटस्थ हैं फ़िर आप इंगलैंड तथा अमरीका की सहायता करते हैं और आप अमरीका पर निर्भर करते हैं। कल सदस्य कह रहे थे कि हमारी २,५०० मील की सीमा .....

अध्यक्ष महोदय : इन तर्कों पर मुझे आपत्ति नहीं है । आप के पास तीन मिनट हैं इस में आप कुछ और कह सकते हैं अन्यथा आप को समय नहीं मिलेगा ।

श्री नम्बियार : हमारे देश की सीमा २,५०० मील तक फ़ैली है और समुद्र तट भी बहुत बड़ा जिस की रक्षा की जानी चाहिये। हम एक वायुयान भी नहीं बना सकते. इस के लिये हमें अमेरीका पर निर्भर करना पड़ता है। आप कहते हैं कि "हमारी तटस्थ नीति है, हमारी किसी गुट्ट से कोई सम्बन्ध नहीं।" ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं जब कि हमारी सेना एक गुट्ट पर निर्भर करती है। आप को अपना रवैया बदलना चाहिये तथा रक्षा व्यवस्था का पुनर्संगठन करना चाहिये । सैनिकों को मोर्चे पर लड़ना पड़ता है सैनिक अधिकारियों को नहीं, अतः सैनिकों में देश भक्ति की भावना भरनी चाहिये और उन्हें इस भावना के विकास का अवसर देना चाहिये ।

यदि हमारी सेना का सम्पर्क जनता से नहीं है तो यह निरर्थक है क्योंकि ऐसा न होने पर जनता देश रक्षा में रुचि नहीं लेगी। अतः हमारा कहना यह है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्य रक्षा सेनाओं का भी काम है । कांग्रेस के सदस्य यह कहते थे कि "विरोधी दल" के सामाजिक-आर्थिक निर्माण की बात हमारी समझ में नहीं आती।" वे पुराने तरीकों के अतिरिक्त इन को नहीं समझ सकते । मैं ने चीन में देखा और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भी उचित समय पर यही बतावेंगी—कि चीन की सेना किसानों के साथ खेती में काम करती है, कारखानों में अपनी आवश्यकता का समान तैयार करती है। जनता के साथ होने से यह अपने देश की रक्षा करेगी। हमारी सेना को संतुष्ट होना चाहिये और जन उपयोगी कार्य करने चाहियें । ताकि जनता इस के सुदृढ़ भाग के रूप में कार्य कर सके । तटस्थ नीति रखने के लिये हम पर अमेरीका का तथा इंगलैंड का प्रभाव नहीं होना चाहिये ।

डा० एस० एन० सिन्हा : (सारन पूर्व) : जर्मन जनरल क्लाज़विज़ ने कहा था कि युद्ध हिंसात्मक साधनों द्वारा राजनीति को निरन्तर चालू रखना है। इसी आधार पर मैं कुछ कहूंगा । मैं ने साम्यवादियों विशेषकर साम्यवादी सदस्या के भाषण को ध्यान से सुना। वह लेनिन के लेख का शब्दशः प्रतिरूप था । यह मेरे पास है माननीया सदस्या का भाषण भी है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के किसी दूसरे के विषय में यह आरोप नहीं लगाना चाहिये कि कोई बात उन्हों ने शब्दशः कही है। यह उचित नहीं । कोई भी किसी दूसरे के तर्क को अपना सकता है। इस से सदन में और भावनायें पैदा होती हैं । माननीय सदस्य ऐसा व्यक्तिगत आरोप न लगायें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि वे अपने कागज़ सदन में रखें और वास्तविकता जानने के लिये सब दलों का एक संसदीय आयोग इस की जांच करे ।

अध्यक्ष महोदय : इस में गुस्से होने की बात नहीं । संसद् का मुख्य कार्य यह नहीं है कि वह यह देखने के लिये कि कौन ठीक है और कौन गलत है इसके लिये आयोग नियुक्त करे इसे यहां पर अपने समक्ष प्रस्तुत समस्यों पर ही विचार करना है ।

डा० एस० एन० सिन्हा : यह आरोप लगाया गया था कि हमारी सेना पर अंग्रेज़ अधिकारियों का प्रभाव है और हमारी रक्षा नीति ऐंग्लो-अमेरीकन साम्राज्यवाद का एक भाग है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

ये आरोप विरोधी दल की आवाज़ नहीं है अपितु किसी बाहर के देश की आवाज़ है । मैं ने भी दो साल तक इन का ढंग सीखा है । ये अपनी बातें दूसरों पर थोप देते हैं । इन साम्यवादियों का यही तरीका है । मैं उन सेना शिक्षणालयों का उल्लेख करूंगा जहां पर बहुत से भारतीयों ने प्रशिक्षण लिया था । वहां भी मैं रहा हूं. हमें वहां यह बताया गया था कि हम भारत में जा कर वहां की रक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करें और सरकार की आलोचना करें । उनकी आलोचना बड़ी गहरी होती है । एक ओर तो वे यह कह कर जनता का ध्यान खींचते हैं कि "आपकी सरकार ऐंग्लो-अमेरिकन गुट्ट की नीति का अनुसरण कर रही है" और दूसरी ओर हमारे रक्षा व्यवस्था को कमजोर करते हैं । ऐसा सब ये दूसरे देश के लिये करते हैं । कुछ वर्ष पूर्व १९५० के जुलाई के अन्त में अगस्त के आरम्भ में बहुत से भारतीय बर्लिन में इकट्ठे हुये— उस समय तृतीय विश्व युद्ध की बातें बहुत चल रही थीं—उस समय यह निश्चय हुआ कि साम्यवादी रूस के हितों का पहिले ख्याल रखेंगे और बाद में भारत का ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : यह झूठा आरोप है । इसका प्रमाण दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ऐसी बाधा नहीं दे सकते । इस दल के भी बहुत से सदस्यों ने भाषण दिये हैं । यह किसी दूसरे सदस्य का निजी अनुभव है । हमें सदन की कार्यवाही शिष्टतापूर्वक करनी चाहिये ।

डा० एस० एन० सिन्हा : सन् १९५० के उस सम्मेलन में ५ अगस्त की रात को ११-३० बजे भारतीयों ने यह बात मान ली थी कि हमारी पहिली निष्ठा साम्यवादी रूस तथा उसकी सेना के प्रति होगी । वह संकल्प इस प्रकार था :

> "कि साम्यवादी दल को सामान्य जनता को यह बात अवश्य बता देनी चाहिये कि जनता का यह कर्त्तव्य है कि व्यापक युद्ध में उसे शान्ति स्थापना के लिये साम्यवादी सेना की सहायता करनी चाहिये ।"

साम्यवादियों का ऐसा शान्ति आन्दोलन है । जर्मन जनरल क्लाजविज ने कहा था कि, "विजेता सदा ही शान्ति प्रिय होता है ।" मेरा कहना केवल इतना है कि "जो साम्यवादी भविष्य में विजेता होना चाहते हैं वे आज सर्वाधिक शान्तिप्रिय होने का ढोंग रचते हैं ।"

जब मैं राजनीति के विषय में कहता हूं तो मेरा मतलब सेना से भी होता है । शान्ति काल में जिस देश का कुशल उच्च सेनाधिकारी वर्ग (जनरल स्टाफ़) होता है वह यही सोचता है कि संकट काल में वे क्या करेंगे । इस दूसरे साम्यवादी देश ने हमारी

[डा० एस० एन० सिन्हा]

रक्षा व्यवस्था के अध्ययन करने का प्रयत्न किया और हमारी सेना के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसमें अपने आदमी भेजे। किसी समय वे भारत को मुक्त करेंगे.....

एक माननीय सदस्य : कौन ?

डा० एस० एन सिन्हा० : यह अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन, साम्यवादी संगठन। उनका मुख्य केन्द्र कार्यालय यह समझता है कि एक ऐसा समय आयेगा जब कि वे भारत को ऐंग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद से मुक्त करेंगे। यह मुक्ति तो बड़ी गम्भीर चीज है। उन्होंने अपनी योजना में काश्मीर को भी अंग्रेजों के अधीन भाग के रूप में दिखाया है। मेरे पास उस योजना के नक्शे की एक प्रति है जो कि सन् १९५० में छपा था। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं.....

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या माननीय सदस्य को ऐसे रहस्यात्मक प्रलेखों का निर्देश करने का अधिकार है जिसको उन्हें सदन पटल पर रखने का सहास नहीं है और न इसके विषय में उन्हें संसद् अथवा अन्य किसी अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा नियुक्त किसी निष्पक्ष आयोग द्वारा जांच कराने का साहस है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने औचित्य प्रश्न समझ लिया है। यदि कोई सदस्य किसी प्रलेख को पढ़ता है अथवा उसमें से कुछ अंश पढ़ता है तो उन्हें वह सदन पटल पर अवश्य रखना चाहिये। वे चाहें तो इसका निर्देश न करें या इसे अपने शब्दों में कहें।

डा० एस० एन० सिन्हा : मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि सदन को साम्यवादी दल की धोखेबाजी से बचना चाहिये। हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिये और यदि स्थिति खतरनाक हो और यदि राजनीति का रुख युद्ध की ओर हो तो हमें अपनी रक्षा व्यवस्था को इसके लिये तैयार रखना चाहिये।

रक्षा मंत्री (श्री **गोपालस्वामी**) : मैं ने इस वाद विवाद को, जो पांच घंटों से अधिक चला, बड़ी रुचि पूर्वक सुना। मेरे लिये इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं। यद्यपि एक या दो सदस्यों ने विपरीत बातें कहीं, किन्तु मैं समझता हूं कि साम्यवादी दल के सदस्यों को भी मिला कर प्रायः पूरा सदन अब इस बात को समझ गया है कि आज कल की स्थिति को देखते हुये हमने रक्षा व्यवस्था के लिये आयव्ययक में जो प्रावधान किया है वह किसी भी प्रकार अपव्यय नहीं है। अपने माननीय मित्र श्री नम्बियार के विचारों को सुनने में मुझे अधिक रुचि थी जो कि साम्यवादी दल के अन्तिम वक्ता थे। उन्होंने अपनी धारणा के रूप में कहा कि सेना को दृढ़ होना चाहिये और उस से मैं यह समझता हूं कि उन का यह अभिप्राय था कि सेना शक्तिशाली नहीं है और अब की अपेक्षा इसे और अधिक शक्तिशाली होना चाहिये। यदि इसे और अधिक शक्तिशाली बनाना है तो प्रत्यक्षतः अभिप्राय यह है कि सम्भवतः सशस्त्र सेनाओं पर व्यय के लिये जो उपबन्ध किया जाना है उसमें श्री नम्बियार के विचारों के अनुसार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिये और वृद्धि करनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी दृढ़ धारणा है कि शक्तिशाली सेना का आधार जनता होनी चाहिये। मैं उनसे पूर्णरूप से सहमत हूं। बात यह नहीं है कि जितना हमें व्यय करना चाहिये हम उससे अधिक व्यय कर रहे हैं, पर यह है कि क्या हम उपयुक्त रूप में व्यय कर रहे हैं या नहीं और क्या हमारे व्यय करने के तरीके में सुधार हो सकता है जिससे कि इस समय की

अपेक्षा हमारी रक्षा व्यवस्था की कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी। इस वाद विवाद में एक विशेषता की बात थी कि सशस्त्र सेना के चार भूतपूर्व अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इन में से दो आजाद हिन्द सेना में थे, जिसका ध्येय इस देश को मुक्त करना था। तीसरे इस देश के राजवंश के हैं, जो यहां 'स्वतन्त्र' सदस्य के रूप में हैं और मैं समझता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने एक मुख्य सैनिक अधिकारी के रूप में काम किया। चौथे सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं—मैं समझता हूं कि वे वायु सेना में थे—और हमें अपने सशस्त्र सेना की कुशलता किस प्रकार बढ़ानी चाहिये, इस सम्बन्ध में उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये। ये सब बधाई के पात्र हैं। पहिले तीन वक्ताओं के तो ये प्रथम भाषण ही थे। मैं समझता हूं कि अन्तिम वक्ता का यह प्रथम भाषण नहीं था, वह पहिले भी कई बार बोल चुके हैं और उन्होंने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं मैं उन्हें इस के लिये बधाई देना चाहता हूं। चूंकि मेरे पास समय कम है मैं उनके द्वारा दिये गये प्रत्येक सुझाव पर नहीं बोल सकता, किन्तु मैं उन सब को विश्वास दिला सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर यथा सम्भव पूर्ण रूप से विचार किया जायगा। और यदि इसकी कार्य कुशलता को और बढ़ाने के लिये मैं वर्तमान नीति या प्रथा में परिवर्तन कर सकता हूं तो मैं ऐसा करने का हार्दिक प्रयत्न करूंगा।

पहिले मैं उड़ीसा के अपने माननीय मित्र श्री पटनायक द्वारा उठाई गई रोचक बात का उल्लेख करूंगा। मुझे मालूम है कि वह सभी देशों की सशस्त्र सेनाओं, उनके संगठन, और उनके कार्य आदि का बहुत गहन अध्ययन करते रहे हैं। उन्होंने ऐसी बातें तैयार की हैं जिससे मालूम पड़ता है कि उन्होंने इस विषय का कितना अध्ययन किया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं ने उस पर सदा ही अधिक ध्यान दिया है। प्रस्तुत मामले में उन्होंने एक या दो मुख्य प्रस्तावनायें रखीं। पहिले उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के संगठन कार्य के लिये दो ध्येय के रूप में दो बातें होनी चाहियें। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा तथा दूसरी आर्थिक स्थिति की स्थिरता। उन्होंने इस आर्थिक स्थिति की स्थिरता पर बहुत कुछ कहा क्यों कि उन्होंने वह बात कही जिसके विषय में वह समझते थे कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास में सशस्त्र सेनाओं को सामाजिक-आर्थिक कार्यों में भाग लेना चाहिये।

अब मैं इन दोनों बातों को लेता हूं। इस विषय पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि प्रथमतः सशस्त्र सेनाओं का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा है। बाहय आक्रमणों को रोकने के लिये हमारी सेनायें कुशल होनी चाहियें। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल बाहय आक्रमणों से रक्षा करना नहीं है अपितु इसका अर्थ यह भी है कि देश में ऐसी स्थितियां पैदा करना तथा उन्हें बनाये रखना जिससे शान्ति तथा सुरक्षा बनी रहे। इस दृष्टि कोण से तो मेरे लिये राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिति की स्थिरता में अन्तर करना कठिन है। आर्थिक स्थिति को तो बाहय तथा आन्तरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा पर स्थिर करना पड़ेगा। उस सुरक्षा के बिना आर्थिक विकास को बहुत अधिक हानि हुई और हम इसे उस सीमा तक नहीं बढ़ा सकते जितना कि हम उस बाहय तथा आन्तरिक सुरक्षा होने पर कर सकते हैं। अतः उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता पर जो जोर दिया उसे सुन कर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। किन्तु जैसा कि मैं ने कहा, वह इससे भी आगे बढ़ गये और उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिरता से आर्थिक क्षेत्र में सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास से भी अभिप्राय है। उन्हों ने यह भी

[श्री गोपालास्वामी]

कहा कि सशस्त्र सेनाओं को पूर्ण राष्ट्रीय विकास के कार्यों को पूर्ण करने में सक्रिय भाग लेना चाहिये । अतः उन्होंने सुझाव दिया कि सशस्त्र सेनाओं को उत्पादन कार्यों में सक्रिय भाग लेना चाहिये । दूसरे शब्दों में सशस्त्र सेनाओं के लिये उनके दो ध्येय रक्षा करने के कार्य तथा उत्पादन कार्य थे । मुझे केवल पिछली बात के विषय में ही कुछ कहना है, और सम्भवतः वह उन की बात से न मिलती हो जिस पर कि उन्होंने जोर दिया ।

सशस्त्र सेनाओं का भी अपना एक कार्य है । यह तो सर्व विदित है कि युद्ध काल में सेनाओं का क्या कार्य होता है । किन्तु शान्ति काल में उनका क्या कार्य होना चाहिये इस विषय में उचित प्रकार का मतभेद हो सकता है । जहां तक शान्ति काल में सेना के कार्य का सम्बन्ध है, जिन व्यक्तियों ने सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया है वे सब इस सामान्य मत को मानते हैं कि शान्ति-काल में सेनाओं का कार्य युद्ध के लिये प्रशिक्षण लेना होता है । जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने वादविवाद में जोर दिया, सेना का कार्य शान्तिकाल में बेकार बैठे रहना ही नहीं है । यह निरन्तर सक्रिय रूप से प्रशिक्षण लेती रहती है । यदि हम उस प्रशिक्षण में वास्तविक रूप से बाधा डालें और उसको ऐसे कार्यों में लगा दें जिससे उस प्रशिक्षण में कोई सहायता नहीं मिलेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि हम सशस्त्रसेना की उतनी कार्य कुशलता को कम कर देंगे जो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा को ठीक रखने के लिये अपने पूरे सैनिक जीवन में बनाये रखनी चाहियें । इसीलिये मुझ जैसे व्यक्तियों को इसमें संकोच रहा है कि सशस्त्र सेनाओं को शान्ति काल में एक ऐसे व्यक्तियों की सेना में परिणित कर दिया जाय जिनका कार्य विभिन्न प्रकार की वस्तुयें उत्पादन करना है, चाहे वह भूमि में कृषि करना हो अथवा बड़े और छोटे उद्योग आदि हों । और सेनाओं को राष्ट्र हित में संकट काल के समय और आवश्यकता के समय, कुछ काल के लिये उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिये उद्यत रहना चाहिये, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी । सशस्त्र सेनाओं ने वैसा तो पहिले ही कर दिखाया है । किन्तु मेरे माननीय मित्र श्री पटनायक ने जो व्यापक प्रस्तावना रखी है वह इससे कहीं अधिक है । जैसा कि मैं ने कुछ दिन पूर्व कहा कि यह एक सुन्दर विचार है : किन्तु हम इसे एकदम कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार नहीं कर सकते । हमें इसके सब पहलुओं पर विचार करना चाहिये, और इस बात को देखना चाहिये कि इस प्रकार के कार्य के लिये सशस्त्र सेनाओं का किस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है । कम से कम मैं तो यह नहीं करूंगा कि सेना का प्रयोग केवल संकट काल में ही किया जाय । संकटकाल के न होनेपर भी ऐसे अवसर होते हैं, और ऐसे भी कार्य होते हैं जिन में कि सेनाओं को देश के उत्पादन की वृद्धि के निमित्त प्रयुक्त किया जा सकता है । ऐसे लोक हित कार्य हैं जिन में सशस्त्र सेनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं । मैं इसे केवल अपने परीक्षात्मक निष्कर्ष के रूप में कह सकता हूं अर्थात् कुछ अस्थाई काल के लिये आप के पास बहुत कुछ उत्पादन कार्य ऐसे हो सकते हैं, उदाहरण के लिये विभिन्न स्थानों पर उखाड़ी गई रेल की पटरियों को फिर से लगाना अथवा नहरें खोदना अथवा राजस्थान के रेगिस्तान में बन लगाने के हेतु पेड़ लगाना जिन में कुछ काल के लिये सेना से कार्य लिया जा सकता है जिस के

पश्चात् वह अपने सैनिक केन्द्रों को वापिस जा सकते हैं ।

ये ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, और इनकी इस ध्येय से जांच की जा सकती है कि सशस्त्र सेनायें उत्पादन कार्य के लिये प्रयुक्त की जा सकती हैं । यदि आप इससे भी कुछ अधिक कार्य चाहते हैं तो हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं में भरती करने के तरीके, रंगरूटों की संख्या, जितना प्रशिक्षण और उनका सेवाकाल आदि विषयों के बारे में अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा । इनसे बड़ी समस्यायें उठ खड़ी होंगी और उस प्रकार के विचारों अथवा सुझावों को स्वीकृति दे सकने से पूर्व हमें उनकी अधिक ध्यानपूर्वक जांच करनी पड़ेगी ।

मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री पटनायक ने अपने भाषण में जो अन्य छोटी बातें कहीं मैं उन पर नहीं बोलूंगा । अब मैं अपनी माननीया मित्र श्रीमती रेण चक्रवर्ती द्वारा अपने भाषण में कही गई कुछ बातों का निर्देश करूंगा । मैं समझता हूं कि उन्होंने ही रक्षा आयव्ययक के विपरीत बातें कहीं । इस विषय में आयव्ययक में जो उपबन्ध किया गया है निश्चय ही वह उससे सन्तुष्ट नहीं है । वह समझती हैं कि यह फ़िज़ूलखर्ची है और वह यह भी समझती हैं कि यह व्यर्थ का धन इस प्रकार से व्यय किया जाता है कि जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकतीं । इस मामले में मैं उनके रवैय्ये को समझता हूं । अपनी स्थिति के विषय में उन्होंने ऐसे तर्क रखे हैं जिन्हें मैं सरलता से नहीं समझ सकता । सर्व प्रथम, उन्होंने मेरे तथा वित्त मंत्री द्वारा कुछ दिन पूर्व कही गई बात का खण्डन करने का प्रयत्न किया अर्थात् यदि आप रक्षा व्यय के लिये किये गये उपबन्ध की केवल केन्द्र के आय-व्ययक से ही नहीं अपितु देश के कुल आय-व्ययक से तुलना करें, तो सम्भवतः आप देखेंगे कि मेरे माननीय सहयोगी के आंकड़ों के अनुसार यह २५ प्रतिशत से अधिक नहीं है । मेरे गणित के अनुसार यह लगभग २० प्रति शत है । यह कुछ भी हो यह ५० प्रति शत तो नहीं है, यह वह प्रतिशतता है जो आपको केन्द्र के आयव्ययक देखने से मिलती है । उन्होंने कहा कि यदि पुलिस के व्यय को रक्षा सेवाओं के व्यय में जोड़ दें तो यह प्रतिशतता और भी अधिक बढ़ जायेगी । पुलिस पर किया जाने वाला व्यय सदा ही किसी भी राज्य के असैनिक व्यय का भाग माना जाता है ।

दूसरे यदि आप इसमें पुलिस व्यय को भी जोड़ दें तो भी यह प्रतिशतता बहुत अधिक नहीं बढ़ जायेगी । तुलना तो इस बात की हो सकती है कि हम देश की सशस्त्र सेनाओं पर इतना अधिक व्यय कर रहे हैं जो कि देश के कुल राजस्व का बहुत बड़ा प्रतिशत है । हम ने देश की अन्य सेवाओं पर होने वाले व्यय की तुलना में रक्षा सेवाओं पर बहुत अधिक व्यय करने का प्रयत्न नहीं किया है । हम ने देश के कुल राजस्व तथा कुल व्यय की तुलना की और यह दिखाने का प्रयत्न किया कि यदि आप इन दोनों पर ध्यान दें तो रक्षा सेवाओं पर होने वाले व्यय में कोई फ़िज़ूल खर्ची नहीं हो रही है । इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे विदित होता है कि अमेरिका में भी रक्षा पर इतना व्यय होता है, यदि अधिक नहीं तो जितना कि हम संघीय केन्द्र पर व्यय करते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने दूसरी बात यह कही कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिये शस्त्र और उपकरण तथा अन्य सामग्री के लिये विदेशी स्रोतों पर बहुत ही अधिक निर्भर करते हैं और हम उनके अधीन से हैं और उस दूसरे देश के ऐसे कुचक्र में सम्मिलित

[श्री गोपालस्वामी]

ह जिसका अन्तिम ध्येय रूस और चीन पर आक्रमण करना है। पिछले कुछ समय से मैं भी सरकार का सदस्य हूं। रूस अथवा किसी अन्य देश पर आक्रमण करने के गुप्त को मैं नहीं जानता। उन के इस विचार को प्रकट करने से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। म समझता हूं कि वह केवल यह कहना चाहती थीं कि हम किसी भी प्रकार से स्वतन्त्र नहीं हैं और हम इंगलैंड तथा अमेरिका से सम्बद्ध हैं और हम इतनी अधिक सशस्त्र सेनायें केवल इसलिये रखते हैं कि इससे हम इन देशों की सहायता करना चाहते हैं। हमारी नीति के सम्बन्ध में ऐसी विचित्र धारणा कुछ ही व्यक्तियों की हो सकती है। हम स्वतन्त्र और सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न हैं। हमारी सेनायें हमारे लिये ही हैं। भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। भारत सरकार ही इसकी नीति निर्धारित करती है। भारत सरकार ही इस बात का निर्णय करती है कि हमारी वित्तीय स्थिति के अनुसार हमारी सेना के कैसे उपकरण होने चाहियें और ये कहां से लेने चाहियें। यह ठीक है कि जिस प्रकार की सेना सामग्री की हमें आवश्यकता है उसे हम इंगलैंड से लेते हैं। इससे हमारे विगत इतिहास का सम्बन्ध है। यदि विरोधी दल का यह सुझाव है कि हम उनके उपनिवेश के अंग हैं और हम अपनी नीति उन्हीं के कहने के अनुसार चलाते हैं तो मैं यही कहूंगा कि यह हमारी नीति को झूठे रूप में रखना है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या "झूठे" शब्द का प्रयोग शिष्ट भाषा है ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का यह मतलब नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति झूठा है। "झूठ" या "गलत" तो शिष्ट भाषा के शब्द हैं।

श्री गोपाल स्वामी : माननीय महिला सदस्या ने यह भी कहा कि हम ने अपनी सशस्त्र सेनाओं में अंग्रेज़ पदाधिकारी रखे हुये हैं। उनका कहना था कि ये अधिकारी ही सब काम करते हैं और वे ही नीति को निर्धारित करते हैं और हम उनके द्वारा स्वीकृत नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में उनकी जो स्थिति है उसके विषय में यह बहुत ही गलत बात है।

ये अधिकारी इसलिये नहीं रख गये हैं कि वे हमें अपने अधीन रखना चाहते हैं, अपितु हम ऐसा समझते हैं कि इन तीनों भिन्न भिन्न रक्षा सेवाओं को चलाने में उनकी सेवायें बहुत लाभदायक हैं। वे कुछ विशेष पदों पर नियुक्त हैं। सेना में एक परामर्शदाता को छोड़कर प्रत्येक अधिकारी सेना में एक विशेष पद पर नियुक्त है और जिस के न रहने पर उस पद पर भारतीय नियुक्त किया जायगा। वह उस पद पर उसी शर्तों पर तथा उसी अनुशासन में है जैसे कि कोई भारतीय अधिकारी होगा। मैं जानता हूं कि विरोधी दल के सदस्य मुझ से कहेंगे कि "तब आप भारतीय अधिकारियों को क्यों नहीं रखते ?" इसका उत्तर सरल है और यह है कि ऐसे भारतीय सैनिक अधिकारी नहीं हैं जो कि सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किये जाने की योग्यता रखते हों। आज भी उन पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। किन्तु हम चाहते हैं कि हमारी सेना कार्य कुशल हो और उस के उच्च पदों पर ऐसे अधिकारी हों जिन में उच्च श्रेणी के अधिकारी की योग्यता ही न हो अपितु जिनको उन बातों का प्रशिक्षण मिला हो और वह अनुभव हो जो कि उन्हें उन पदों पर नियुक्त करने

के लिये आवश्यक हैं। यदि कोई संकट काल उपस्थित हो और हमें अपने तथा विदेशी अधिकारियों में से अधिकारी लेने पड़ें तो निर्विवाद रूप से हम एक भारतीय को चुनेंगे और उसे पहिला प्रशिक्षण न प्राप्त हो तो भी हम उसी को कार्यभार सौंपेंगे, किन्तु शान्तिकाल में यह बुद्धिमत्ता ही है और हमारे हित में है कि इन व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त होने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या जनरल करियाप्पा को परामर्शदाता की आवश्यकता है ?

श्री गोपालस्वामी: यदि विरोधी दल के सदस्य जनरल करियाप्पा के स्थान पर होते तो उन्हें एक की अपेक्षा कई परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती। यदि सेना को कोई जनरल किसी कार्य को करने से पूर्व किसी व्यक्ति की सलाह लेता है तो उसकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। वह परामर्श करने के लिये बाध्य नहीं वह इसे अस्वीकार कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। किन्तु यह उस सेवा के लिये ही अच्छा है कि जब तक सरकार इसे नितान्त आवश्यक समझे, उन्हें ऐसी सलाह मिलनी चाहिये।

वेतन-श्रेणियों तथा सब से छोटे कर्मचारी और सर्वोच्च पदाधिकारी के वेतन के अन्तर के विषय में भी कुछ बातें कही गई। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बात के पक्ष और विपक्ष में जो बातें कही जा सकती हैं उन्हें कहने में मुझे समय लगेगा। जिन व्यक्तियों ने सशस्त्र सेनाओं में काम किया है उन्होंने इन बातों का उत्तर दे दिया है। इस समय मैं इसे यहीं छोड़ना चाहता हूं। अन्य श्रेणियों (रेंक्स) की कम वेतन के बारे में भी कुछ कहा गया है। यह सत्य है कि उन की आरम्भिक वेतन २२ रुपये है, किन्तु लोग यह भूल जाते हैं कि इसके अतिरिक्त उन्हें भोजन, कपडे तथा निवास स्थान और अन्य सुविधायें भी मिलती हैं। मैं इस वेतन के पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु मैं यह कहूंगा कि आर्थिक दृष्टि से सैनिक की स्थिति सेना से बाहर के अपने समवर्त्ती और अच्छा वेतन पाने वाले कर्मचारी से बुरी नहीं है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह बात भी कही कि भारत ने दो वर्ष पूर्व तिब्बत को अस्त्रशस्त्र और वायरलैस का सामान भेजा। मैं नहीं जानता कि उन के कहने का क्या अभिप्राय था। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि भारत कई वर्षों से तिब्बत को अस्त्र देता आया है। और उसी परम्परा के अनुसार कुछ अस्त्रशस्त्र तथा वायरलैस का सामान तिब्बत को दिया गया था। इन वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक नहीं था और इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिससे यह मालूम हो कि हमने ऐसा असावधानी अथवा तिब्बत और भारत के बीच राजनैतिक सम्बन्धों पर उचित ध्यान रखे बिना ऐसा किया। मैं नहीं जानता कि सरकार के विरुद्ध इस विशेष बात को कह कर वह क्या कहना चाहती थीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या हमें तिब्बत को अस्त्रशस्त्र देने की अंग्रेजों की नीति का अब भी अनुसरण करना चाहिये ?

श्री गोपालस्वामी: हम इस पर स्वतन्त्र रूप से विचार करके स्वतंत्र रूप से निर्णय करेंगे

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : क्या नौसेना में अमेरिकन कोड नहीं चल रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बताना लोकहित में नहीं है।

श्री गोपालस्वामी : फिर हमारी सशस्त्र सेना के प्रशासन में उच्च पदों पर अति व्यय के विषय मेंकुछ कहा गया। मैं नहीं जानता

[श्री गोपालस्वामी]

कि प्रशासन में उच्च पदों पर अधिक व्यय से क्या अभिप्राय है, यदि इसका निर्देश प्रधान कार्यालय, या रक्षा मंत्रालय अथवा सशस्त्र सेनाओं के प्रधान कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों की ओर है, तो मैं यही कहूंगा कि हमारी कार्य व्यवस्था की किसी भी अन्य तस्थानी देश से भली भांति तुलना हो सकती है ।

यह सम्भव है जब स्थायी रूप से नई वेतन श्रेणियां लागू हो जायेंगी तो उसकी अपेक्षा इस समय इन कुछ पदाधिकारियों पर अधिक व्यय हो रहा है । प्रधान कार्यालय में उच्च पदाधिकारी ही होते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि उन की वेतन श्रेणी उदाहरण के लिये सेना के सी० आई० ओज़ की वेतन श्रेणी तस्थानी अधिकारियों के वेतन से कुछ अधिक होती है और उन्हें यही वेतन मिलता रहेगा । इस समय यह व्यय कुछ अधिक है किन्तु न तो संख्या में और न कुल व्यय के विषय में यह कहा जा सकता है कि व्यय अधिक हो रहा है ।

नौकरी से हटाये और निकाले जाने के सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है उसके विषय में भी कुछ कहा गया है । इस मामले में जो ठीक स्थिति है उसे मैं सदन को बताना चाहता हूं । बिना उचित जांच के किसी अधिकारी या सैनिक को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता । उसे प्रशासनिक रूप से निकाला या पदच्युत किया जा सकता है अथवा सेना-न्यायालय की कार्यवाही के परिणामस्वरूप निकाला जा सकता है । सब मामलों में उसे आत्मरक्षा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है और अपने पक्ष में सब गवाही देने का अवसर दिया जाता है । किसी सैनिक अधिकारी को तो केवल सरकार ही सेवा से हटा सकती है किन्तु उसके मामले में भी उस आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है । जब वह मामला सरकार के पास आता है तो उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाती है और इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय या अनुचित व्यवहार न किया जाय । जैसा कि आप जानते हैं कि लोग सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नियमों के अन्तर्गत दिये गये अन्तिम आदेशों से कभी भी सन्तुष्ट नहीं होते हैं वे मंत्री से अभ्यावेदन करते हैं और शायद वे बातें दूसरे प्रकार से भी उठायी जाती हैं । मैं कभी किसी मामले पर विचार करने से मना नहीं करता यदि प्रत्यक्षतः उस में पुनर्विचार करने का ऐसा कोई आधार हो केवल इसलिये नहीं कि उसके सम्बन्ध में किसी प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय दे दिया गया है । यदि कोई ऐसा भी मामला हो जिसमें किसी मंत्री ने ही आदेश दिया हो तो उस के सम्बन्ध में भी यदि कोई ऐसा अभ्यावेदन किया गया हो जिसमें नई बातें प्रस्तुत की गई हों तो उसकी भी उसी प्रकार पूर्ण सावधानी से जांच की जाती है जैसे कि उस व्यक्ति की प्रथम जांच में की जाती है और उचित आदेश जारी किये जाते हैं । मैं समझता हूं कि सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारीगण को, प्रक्रिया अथवा जिस प्रकार से उस प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता है उस के विषय में कोई शिकायत नहीं है ।

११ म० पू०

श्री रामचन्द्र रैडडी ने एक बात उठायी थी । वह इस बात के कारण कुछ चिन्तित से थे कि सशस्त्र सेनायें तीन प्रधान कार्यालयों में विभक्त हैं--एक सेना के लिये, दूसरा नौ सेना के लिये तथा तीसरा वायुसेना के लिये है । उन्होंने इस बात की सिफ़ारिश की कि ये तीनों सेवायें सशस्त्र सेनाओं के एक

ही प्रधान सेनापति के नियंत्रण में रख दी जायें। ऐसा हो जाने से उन्हें आशा है कि संगठन तथा अनुशासन दोनों में तथा सैनिक कार्य सम्पादन में पर्याप्त सहयोग हो सकेगा। एक और साम्यवादी सदस्य ने कहा कि सेना के प्रधान कार्यालय को इस कारण तीन भागों में विभक्त किया गया कि नौ-सेना तथा वायुसेना के अंग्रेज़ प्रधान सेनापति सेना के प्रधान सेनापति के अधीन कार्य करने से मना कर देंगे। मैं नहीं जानता कि उन अंग्रेज़ प्रधान सेनापतियों को इस प्रकार की कोई शिकायत या असन्तोष है या उन्होंने यह बात कभी कही। मैं यह कह सकता हूं कि तीनों सेनाओं में ऐसी व्यवस्था है कि उन में पर्याप्त सहयोग है, चाहे इसमें आप सेवा के एक भाग पर ही विचार क्यों न करें। इस समय तीनों सेनाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न पहिले प्रधान सेनापतियों (चीफ्स आफ स्टाफ) की समिति के समक्ष आते हैं। वे मामलों पर विचार करते हैं और किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं। फिर एक मंत्रियों की समिति है और सब से ऊपर मंत्रिमंडल की रक्षा समिति है। ये बाद की दोनों समितियां सर्वोच्च स्तर पर नीति को निर्धारित करती हैं। इन तीनों सेवाओं के मध्य अपेक्षित सहयोग इन्हीं तीनों प्रकार से प्राप्त किया जाता है और मैं नहीं समझता कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं के प्रधान सेनापतियों के बीच अथवा मंत्री और मंत्रिमंडल के बीच सहयोग नहीं है।

क्या मैं एक बात का और निर्देश कर दूं जिसे मेरे माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह ने कहा था? ऐसा प्रतीत होता है कि वह समझते हैं कि सेना में सैनिक जाति तथा असैनिक जाति वाली बात अब भी चल रही है और उसे समाप्त कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार ने पहिले ही आदेश जारी कर दिये हैं कि यह भेद भाव दूर कर देना चाहिये। एक या दो मामलों में यह बात चल रही है किन्तु यह सैनिक और असैनिक जातियों के बीच भेद भाव के रूप में नहीं चल रही अपितु यह प्रशासनिक कारणों से है। किन्तु सरकार की नीति इस भेद भाव को दूर करने की चाहे यह बात प्रशासनिक कारणों में भी अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती हो तो भी सरकार की नीति इसे यथासम्भव शीघ्र समाप्त कर देने की है।

मेरा समय समाप्त हो चुका है। यद्यपि मुझे कुछ और बातें कहनी थीं। किन्तु मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री टी० के० चौधरी के कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है:

> "कि रक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

सदन में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ६५; विपक्ष में ३०३।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

शेष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये और अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

> "३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेशपत्र के स्तंभ दो में उल्लिखित मांग संख्याओं ११, १२, १३, १४, १५, १६ और १०८ के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये उक्त आदेशपत्र के स्तंभ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निम्न मांगें स्वीकृत हुई :

मांग संख्या ११--रक्षा मंत्रालय--१७,२३,००० रुपये ।

मांग संख्या १२ --रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना--१,१३,३०,४३,००० रुपये ।

मांग संख्या १३--रक्षा सेवायें--क्रियाकारी नौ सेना--७,५०,८६,००० रुपये ।

मांग संख्या १४--रक्षा सेवायें--क्रियाकारी वायु सेना--१५,४८,०७,००० रुपये ।

मांग संख्या १५--रक्षा सेवायें--अक्रियाकारी व्यय--१०,६५,५१,००० रुपये ।

मांग संख्या १६--रक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय--३,३३,००० रुपये ।

मांग संख्या १०८--रक्षा पूंजी व्यय--११,३३,३४,००० रुपये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी ।

मांग संख्या २२--आदिमजाति क्षेत्र--१,९६,९५,००० रुपये ।

मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य--३,५५,९५,००० रुपये ।

मांग संख्या २४--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय--३,३५,००० रुपये ।

राजदूतों के कार्य तथा विदेशों में राजनयिक स्थापनायें

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्) : "वैदेशिक कार्य" सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।

वास्तविक शान्ति पूर्ण नीति का अनुसरण करने में सरकार की असफलता

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : "वैदशिक कार्य" सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।

(१) विदेश नीति तथा आंग्ल-अमरीकी शक्तियों से सम्बन्ध ।

(२) राष्ट्र मण्डल की सदस्यता से भारत का हट जाना ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : (१) "वैदेशिक कार्य" सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती ।

(२) "वैदेशिक कार्य" सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती ।

भारत में विदेश बस्तियां

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विज़ियानगरम्) : "वैदेशिक कार्य" सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।

विदेश नीति

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांदी-बोलनगिर) : "वैदेशिक कार्य" सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव चर्चा किये जाने के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत है ।

डा० लंका सुन्दरम् : विदेश नीति के सम्बन्ध में अनुदानों के लिये मांगों को देखने से मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हमारी विदेश नीति को चलाने में चार करोड़ रुपया लगभग का व्यय कोई अधिक व्यय नहीं है । आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने से पूर्व में अपनी विदेश नीति के स्वरूप पर कुछ साधारण बातें कहूंगा । इस विषय में मैं यह मानता हूं कि हमारी विदेश नीति का पथप्रदर्शन करने वाले सिद्धान्तों के स्वरूप में कोई अपवादभूत बात नहीं है । मैं यह भी मानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने हमारी विदेश नीति का जो स्वरूप बताया है वह मानव की अमर अन्तरात्मा की आनन्द

मयी बातें हैं। हमारे प्रधान ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री भी हैं, विदेश नीति के सम्बन्ध में इन बातों का पालन करने में पर्याप्त समय लगाया और उत्साह पूर्ण रूप से कार्य किया। किन्तु मेरा यह विचार है कि किसी देश की विदेश नीति किन्हीं साधारण बातों तक ही सीमित नहीं रह सकती और उसमें हमें विश्व की समस्त बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं सदन का ध्यान अपनी विदेश नीति से सम्बन्धित तीन, चार बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनसे मैं स्वयं सहमत हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी सरकार ने सैन फ्रांसिस्को की जापान के साथ शान्ति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये और जापान के साथ एक पृथक् संधि की। हमारे प्रधान मंत्री ने कोरिया के मामले पर स्टैलिन और एचसन को तार भेज कर मध्यस्थता करने का प्रयत्न किया, वह भी अत्युत्तम कार्य था। प्रधान मंत्री ने 'ऐशियन रिलेशन्स कान्फ्रेंस' का जो आयोजन किया था मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

संक्षेप में हमारे देश की विदेश नीति दो शब्दों, "सक्रिय तटस्थता" में है। इस विषय में प्रधान मंत्री के कुछ विशेष प्रिय शब्द हैं, तथा "हम विश्व शक्तियों के साथ नहीं मिलेंगे" "आक्रमण का विरोध" "जब शान्ति खतरे में हो भी, हम शान्त नहीं बैठे रहेंगे" आदि। ये बातें भारतीय परम्परा "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत" के सनुरूप ही हैं। किन्तु मेरा विचार है कि हमारी नीति न तो शक्तिमान् है और न तटस्थ ही है। सन् १९३१ के एक वक्तव्य में प्रधान मंत्री के शब्द थे "हमारे तथा इंग्लैंड के बीच भगत सिंह की लाश रहेगी" और उन्हीं के होते हुए इस संसद् भवन पर अंग्रेजी झंडा लगाया गया। हमारी विदेश नीति इन बातों से और सपष्ट होती है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में ८०० करोड़ रुपये लगाये हुए हैं और इतना ही पौण्ड पावना हमारा वहां है, हम तटकर के मामले में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों को अधिमान देते हैं, हमारे प्रधान सेनापति वहां जाकर इम्पीरियल जनरल स्टाफ से रक्षा के विषयों पर विचार विमर्श करते हैं; इन्हीं बातों से यह मालूम पड़ता है कि हम तटस्थ नहीं हैं, एक गुट्ट में सम्मिलित हैं। अमेरिकन डालर कूटनीति से हमारी आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिका से एक अरब डालर का जो ऋण मिला है उससे रही सही बात भी पूरी हो जायेगी। इसीलिये मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि न केवल हमें अपने देश की सीमा को बनाये रखना चाहिये अपितु विदेशों में अपने देश के सम्मान को भी बढ़ाना चाहिये।

अब मैं संक्षेप में पिछले पांच वर्षों की अपनी विदेश नीति के इतिहास को लेता हूं। हम अपने पड़ौसी बरमा और नैपाल को, एक को तो ऋण देकर तथा दूसरे को उपकरण तथा सामग्री देकर सहायता कर रहे हैं। किन्तु मलाया, हिंद चीन तथा लंका को सहायता देने के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लें और उदाहरण लीजिये। मिश्र के बादशाह को सूडान का बादशाह मानने के सम्बन्ध में हम कुछ निश्चय न कर सकने के कारण अपने राजदूत को वहां नहीं भेज रहे हैं। दूसरा इज़राइल के सम्बन्ध में है। हमने इसे अब तक भी मान्यता नहीं दी है। अब मैं अपने कटौती प्रस्ताव को लेता हूं। मेरा इस सदन तथा प्रधान मंत्री, जो विदेश मंत्री भी हैं, से निवेदन है कि विदेशों में हम जिन कूटनीतिज्ञों को भेजते हैं उनकी छानबीन, उनका चुनना उनका प्रशिक्षण तथा नियंत्रण उचित रूप से नहीं किया जाता। हमारे अर्जेन्टाइना के दूतावास में नर्स के विषय में

[डा० लंका सुन्दरम्]

जो झगड़ा हुआ उसे हम जानते हैं। मैं यहां इस प्रकार की बातें नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों में हमारे कूटनीतिज्ञों पर जो नियंत्रण नहीं रहा और उससे हमें जो अनुभव हुआ है, क्या उससे हमें कोई लाभ हो रहा है।

विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी देश के कूटनीतिज्ञों ने नीति बनाने और उस नीति को चलाने का काम भी खुद ले लिया हो। हमारे एक राजदूत ने नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने अधिकार नहीं दिया था। मेरे पास ऐसे दो उदाहरण हैं कि वाशिंगटन और मास्को के हमारे राजदूतों ने जिस देश में वे थे खुले तौर पर, वहां की घरेलु नीति की निन्दा की। कुछ वर्ष पूर्व ब्रुसेल्स, काहिरा तथा तेहरान के हमारे राजदूतों ने हैदराबाद में होने वाले पुलिस कार्यवाही का समर्थन खुले तौर पर किया था। क्या हमें इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं? मेरा सदन के नेता से निवेदन है कि विदेशों में भारतीय कूटनीतिज्ञों पर कुछ नियंत्रण होना चाहिये। अब विदेशों में अपने दूतावासों को लीजिये। वाशिंगटन में पांच वर्ष में हमारे छै दूत बदले जा चुके हैं। जब कि दिल्ली में एक विदेश के दूत से लेकर सब से छोटे कर्मचारी तक जब से वे यहां आये हैं, वे यहीं हैं। अतः मेरा विदेश मंत्री से निवेदन है कि विदेशों के लिये हम ऐसे दूतों को चुनें जो वहां अधिक समय रखे जा सकें और उस देश को भली भांति समझ कर वहां की महत्वपूर्ण सूचना, जो हमारी विदेश नीति को बनाने में सहायक हो, को भेज सकें।

हमने विदेशों से संधियां की हैं। अफगानिस्तान, नैपाल तथा इन्डोनीशिया की संधियों को देखने से हमें पता लगता कि उनमें "शाश्वत शान्ति", "प्रगाढ़ मैत्री" जैसे शब्द रखें हैं। किन्तु इनमें इनकी समयावधि कुछ वर्षों की रखी गई और कुछ महीनों की पूर्व सूचना से समाप्त की जा सकती है। अतः मेरा सदन के नेता से निवेदन है कि इन सन्धियों में हमारा कोई आधारभूत रवैय्या होना चाहिये और उनमें समान बातें होनी चाहियें क्योंकि इन सन्धियों की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में रखी जाती हैं।

मैं प्रधान मंत्री के प्रति बहुत अधिक सम्मान रखता हूं। किन्तु मेरा निवेदन है कि किसी एक व्यक्ति की बातों से ही किसी राष्ट्र की नीति नहीं बना करती। यह अध्ययन, ठीक समझने, सहयोग, बुद्धिमत्ता तथा अनुभव के आधार पर बनती है। इसके बाद मैं सदन तथा प्रधान मंत्री के विचारार्थ दो रचनात्मक सुझाव दूंगा। मैंने सुना है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी समिति को सरकार समाप्त करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सदन के नेता हमें यह आश्वासन दें कि यह नहीं किया जायगा। हमें अमेरिका की सीनेट फारिन रिलेशन्स कमेटी के समान कोई संस्था रखनी चाहिये। जिसमें विदेश नीति के विषय में सरकारी पक्ष तथा विरोधी दल सहयोग से कार्य कर सकें। प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस समय हम क्रियात्मक कार्य करें और नैतिक तथा कल्पनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय बातों में न उलझे रहें। हमें अपनी विदेश नीति के विषय में जनता की राय जाननी चाहिये। अन्त में मुझे यह कहना है कि इस देश में तथा विदेशों में लोग प्रधान मंत्री के प्रति बहुत सद्भावना रखते हैं। उन्हें चाहिये कि वे जनता तथा इस सदन को अपने विश्वास में लें और ऐसी नीति बनायी जाय जो देश के लिये हितकारी हो।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने उन सब कटौतियों को देखा जो कि यहां पर हमारे सामने आने वाली हैं और अभी मैं ने डाक्टर लंका सुन्दरम् जी के भाषण को भी बड़े ध्यान से सुना। उन के भाषण को सुन कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जो हमारी वैदेशिक नीति है उस का वह यथार्थ में समर्थन करते हैं। उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें हमारी वैदेशिक नीति में हैं उन की चर्चा अपने भाषण के आरम्भ में ही की और उस चर्चा के बाद उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री को इस बात के लिये बधाई दी कि उन्होंने समय समय पर उन बड़ी बड़ी नीतियों का अनुसरण किया। उस भाषण में छोटी छोटी बातें सुन कर और छोटी छोटी बातों में विरोध देख कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उन के भाषण में एक बात को सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारी वैदेशिक नीति अमेरिकन डालर के अनुसार चलती है .....

बाबू राम नारायण सिंह (हज़ारीबाग़ पश्चिम) : गलत क्या है ?

सेठ गोविन्द दास : बिल्कुल ग़लत है। और क्यों ग़लत है इसके प्रमाण आप के सामने रखना चाहता हूं। क्या डाक्टर लंका सुन्दरम् उस समय को भूल गये कि जिस समय हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि ३८वें अंक्षांश का उलंघन करना सारे संसार के लिये बुरी बात होगी ? क्या वह उस अवसर को भी भूल गये कि जब हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि चीन को यू० एन० ओ० (संयुक्त राष्ट्र संघ) में लेने की नितांत आवश्यकता है ? जिस जापानी संधि का उन्होंने चर्चा की उस जापानी संधि के सम्बन्ध में भी वह इस बात को भूल गये कि उस समय अमेरिका की हमारे प्रति क्या भावनायें थी। चीन में उस जापानी संधि पर हमारे हस्ताक्षर न करने के कारण हमारे लिये जो भावनायें हैं उन्हें मेरी बहन श्री विजयलक्ष्मी जी यहां बतलायेंगी। आज हमारे दाहिनी ओर बैठने वाले और उपाध्यक्षजी, आप के भाई और बैठने वाले जो यह बड़े बड़े चीन और रूस के समर्थक हैं मैं उन से कहना चाहता हूं कि इन को स्वयं, चीन और रूस की क्या स्थिति है और आज चीन और रूस हमारी वैदेशिक नीति का कितना समर्थन कर रहे हैं, यह बात नहीं मालूम। तो डाक्टर लंका सुन्दरम् का यह कहना कि अमेरिकन डालर के अनुसार हमारी वैदेशिक नीति चलती है इससे ज्यादा ग़लत बात और दूसरी कोई नहीं हो सकती।

फिर जरा हम देखें कि आज हमें स्वतंत्र हुए बहुत समय नहीं हुआ है। हम कोई बहुत शक्तिशाली राष्ट्र भी नहीं हैं। हमारे पास बहुत धन भी नहीं है इतने पर भी यदि आज हमारा इतना सम्मान सारे संसार में हो गया है तो इसका क्या कारण है। हमें इस पर विचार करना है। और गम्भीरता पूर्वक विचार करना है। मेरी दृष्टि से इस के तीन प्रधान कारण हैं। पहला कारण है हमारे देश की महानता और उस का इतना पुराना इतिहास और इतनी पुरानी संस्कृति। दूसरा कारण है हमारे इस युग में महात्मा गांधी के सदृश्य महापुरुष का अवतार लेना और हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग से स्वराज्य दिलाना। और तीसरा कारण है हमारी वैदेशिक नीति, जिस का सारा श्रेय हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को है। तो हम इन सब बातों की ओर आंख मूंद लें और आंख मूंद कर हम केवल छोटी छोटी बातों को देखा करें, यह बड़ी हास्यास्पद बात है।

मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि हमारी वैदेशिक नीति का सारा श्रेय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को है परन्तु उसी

[सेठ गोविन्द दास]

के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति हमारे देश की प्राचीन परम्परा के अनुसार भी है। हम ने कभी भी अपने इतिहास में दूसरे देशों की दबोचने या अपने राज्य को बढ़ाने का विचार नहीं किया है। हमारे देश का विदेशों के साथ सब से अधिक सम्बन्ध सम्राट अशोक के समय में रहा और यदि अशोक काल का इतिहास आप देखें तो पायेंगे कि उस समय जो हमारा सम्बन्ध दूसरे देशों से था वह मैत्री का सम्बन्ध था, प्रेम का सम्बन्ध था। फिर अपनी वैदेशिक नीति में हम ने सदा इस बात का प्रयत्न किया और प्रत्येक युग में इस बात का प्रयत्न करते रहे कि जो दबे हुए हैं उन को उभारना है, उन को ऊंचा उठाना है। आधुनिक काल में भी यदि आप दृष्टि डालेंगे तो हमारी जो वैदेशिक नीति है वह इन्हीं बातों के अनुसार मिलेगी। जिस समय हम स्वतंत्र नहीं हुए थे लेकिन महात्मा गांधी के कारण हमारी आवाज की कुछ कीमत दुनिया में हो गयी थी उस समय के इतिहास को भी अगर आप देखें तो हम ने सदा यही प्रयत्न किया था। सन् १९२१ में महात्मा गांधी के हाथ में हमारे देश की बागडोर आई। इसी साल मुस्तफ़ा कमाल पाशा को हम ने बधाई दी। सन् १९२७ में हम ने चीन को बधाई दी, मिश्र, सीरिया, पैलेस्टाइन और ईराक़ के साथ हम ने अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की, फ़ासिज्म और नात्सीइज्म का विरोध किया, स्पेन के प्रजातांत्रिक दल से हम ने सहानुभूति प्रकट की, चीन पर जापान के आक्रमण का हम ने विरोध किया, इंडोनीशिया और इंडोचाइना के जितने स्वातंत्रय के आंदोलन हुए उन सब का हमने समर्थन किया। यह सब हम ने उस समय किया जिस समय कि हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, और स्वतंत्रा के पश्चात् भी यदि आप देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि हम ने इसी नीति का अनुसरण किया है।

अभी डा० लंका सुन्दरम् ने हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी के स्टालिन और एचीसन को लिखे गये पत्रों का जिक्र किया। मैं आप से कहना चाहता हूं कि उन पत्रों में जो कुछ कहा गया था उस का चाहे कोई प्रत्यक्ष नतीजा न निकला हो लेकिन वह पत्र जो सन् १९५० में लिखे गये थे उन का एक ऐतिहासिक महत्व है और संसार के इतिहास में उन पत्रों का महत्व रहने वाला है। यहां पर जो एशियन कान्फ्रेन्स हुई जिस में कितने ही देशों के लोग आये उसका भी सारा श्रेय, हमारे प्रधान मंत्री को है और वह एशियन कांफ्रेंस भी एक ऐतिहासिक वस्तु थी, इस से हम आंख नहीं मींच सकते। उस के बाद भी, जैसा मैं ने जिक्र किया, कोरिया के सम्बन्ध में, चीन को यू० एन० ओ में लेने के सम्बन्ध में, जापान से सुलह के सम्बन्ध में हुई इन सब बातों में हम ने अपनी प्राचीन परम्परा का, अपनी प्राचीन वैदेशिक नीति का ही अनुसरण किया है। हम देखते हैं कि हमारी इस नीति के कारण कभी अमेरिका नाराज हो जाता है और कभी रूस और चीन नाराज़ हो जाते हैं और हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए लोग तो सदा ही नाराज़ रहते हैं। क्या करें हम विवश हैं, कोई उपाय नहीं। यदि कोई यह बोड़ा उठा कर यहां आया हो और बैठा हो कि चाहे अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों, कोई भी बातें हों, हमें तो उस का विरोध ही करना है तो ऐसे लोगों के सम्बन्ध में कोई दवा कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमें अपनी वैदेशिक नीति पर विश्वास है और जब तक इस देश की जनता हमारे ऊपर विश्वास प्रकट करके यहां बिठाती है तब

तक, हम उसी नीति का अनुसरण करने वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के नैतिक क्षेत्र में हम ने इस नीति को खरी नीति सिद्ध कर दिया है। अब पार्थिव क्षेत्र में भी हमें सफलता प्राप्त करनी है। इस दृष्टि से हमें कुछ विचार करना है। एशिया के देशों की सारी समस्यायें एक सी हैं। सब देशों में ग़रीबी है और उस ग़रीबी का कारण मुख्यतः उत्पादन की कमी और जनबल तथा प्राकृतिक साधनों का उपयोग न होना है। इस का कारण यह है कि एशिया के सभी देश अशिक्षित हैं, उन के पास विशेषज्ञ नहीं हैं और उन के पास धन नहीं है। यदि आप विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐशिया के देशों में सर्वत्र यही बातें हैं अब उपाय इसका क्या है। इस का उपाय यह है कि एक दूसरे को समझ कर सहानुभूति के साथ एक दूसरे की समस्यायों पर विचार करें। मैं एक दृष्टांत आप को दूंगा। कुछ देशों में बहुत अधिक आबादी है और कुछ देशों में आबादी की बहुत कमी है। भारत में एक वर्ग मील के पीछे और पाकिस्तान में भी एक वर्ग मील के पीछे ३४१ आदमी निवास करते हैं, जापान में ४०८, चीन में भी करीब करीब इतने ही। मैं अभी आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड गया था, आस्ट्रेलिया में एक वर्ग मील के पीछे केवल चार आदमी रहते हैं, न्यूज़ीलैंड में आठ और मैं ने सुना है कि कनाडा में भी करीब चार आदमी निवास करते हैं। आट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड वाले समझते हैं कि आबादी का प्रश्न उन देशों से सम्बन्ध रखता है जिन देशों में अधिक आबादी है।

मैं कहना चाहता हूं कि यथार्थ बात ऐसी नहीं। यह प्रश्न सारे देशों से सम्बन्ध रखता है और सारे देशों की वैदेशिक नीति से सम्बन्ध रखता है। यह एक बड़ा मसला है। इन देशों में आबादी बहुत कम है उन्हें अधिक आबादी की आवश्यकता है। कनेडा के सेनेटर रूबक ने लिखा है :

"यदि आप अपने देश की देखभाल नहीं करेंगे और इसकी रक्षा नहीं कर सकते तो उस पर कोई और अधिकार कर लेगा।"

हमारे बंगाल के जो पुराने गवर्नर मि० कैसी थे उन्होंने भी लिखा है :

"यदि हम आस्ट्रेलिया को जल्दी नहीं बसा सकते तो इस बात का भय है कि हमारा देश हमारे हाथ से चला जायगा।"

इस के साथ ही साथ मैं यह भी बतला दूं कि प्रेजीडेंट ट्रूमैन ने इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है :

"चीन भारत तथा मध्य यूरोप जैसे देशों की बढ़ती जन संख्या को बसाने के लिये हम विश्व के अविकसित भागों का विकास कर सकते हैं। ऐसा करना असम्भव नहीं।"

आप सोचें और जिस समय वैदेशिक नीति पर विचार करें उस समय इस सम्बन्ध में आप अवश्य ध्यान दें। इस सम्बन्ध में भारत में अमेरिका के राजदूत मि० चेस्टर बाउल्स ने एक बड़ा सा लेख लिखा है। इस लेख के अन्तिम अंश को पढ़ कर मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है :

"हमें आशा है कि कांग्रेस प्रवासन सम्बन्धी विभेदात्मक कानूनों को समाप्त कर देगी। अब अच्छे सिद्धान्त और प्रजातन्त्रात्मक कर्य करने का समय आ गया है।"

आज दुनिया की हालत क्या है? आज दुनिया की हालत यह है कि इस दुनिया के आधे निवासी बड़े सुखी हैं और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आधे निवासी ऐसे हैं, जिन के पास न भूमि है, जिन के पास न रहने को घर है, और न

[सेठ गोविन्द दास]

किसी प्रकार की ज़रूरी चीजें उन के पास हैं। दुनिया की यह हालत सदा नहीं रहेगी। आज जो सुखी हैं उन को सुखी नहीं रहने दिया जायेगा। यह बातें संघर्षों, युद्धों, और विप्लवों की जड़ हैं। आबादी के विषय को भी उसी प्रकार आप को विचारना होगा जिस प्रकार दूसरे विषयों को विचारा जाता है इस विषय में विशेषतः सहानुभूति के साथ विचार करना होगा। क्या हमारी सारी भूमि और सारे संसर्गिक साधनों का उपयोग हो चुका है? यदि आप कनाडा को देखें, आस्ट्रेलिया को देखें, अफ्रीका को देखें, ब्रिटिश गायना को देखें, ब्राजील को देखें, अरजैन्टाइना और न्यूज़ीलैंड को देखें, किसी भी देश को आप देखें तो आप को मालूम होगा कि यह बात सही नहीं है। अब जब कि दुनिया इतनी छोटी हो गई है तब कुछ देशों में जरूरत से ज्यादा आबादी हो जैसा हमारे ऐशियाई देशों में है, और कुछ में नहीं के बराबर। यह बात चल नहीं सकती

१२ मध्याह्न

मैं अन्य बातों के साथ साथ अपने प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वैदेशिक नीति पर विचार करते समय वह इस महत्व के सवाल को न भूलें और इस आबादी के सवाल पर अवश्य विचार करें। जब हमारा कामनवैल्थ (राष्ट्र मण्डल) से सम्बन्ध है तो कम से कम कामनवैल्थ के इन देशों में जहां की आबादी बहुत कम है और जहां आबादी की नितांत आवश्यकता है, वहीं हमारी जन-संख्या जानी चाहिये। हम किसी के ऊपर जबर्दस्ती कोई चीज़ नहीं लादना चाहते। जहां तक मूल निवासी लोग हैं हम उन के हितों के बीच में नहीं आना चाहते। उन को हम किसी प्रकार परेशानी में नहीं डालना चाहते। लेकिन यदि आप आस्ट्रेलिया को देखें तो आप को मालूम होगा कि आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है। वह हिन्दुस्तान से भी बड़ा है। यदि आप कनाडा को देखें तो आप को मालूम होगा कि वहां पर मूल निवासी नहीं हैं। अफ्रीका में यह प्रश्न अवश्य उठता है मगर अफ्रीका में आज जिस प्रकार का आन्दोलन चल रहा है उस से आप को मालूम होगा कि अफ्रीका में भी भारतीय वहां के मूल निवासियों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहे हैं। वह वहां के मूल निवासियों के साथ मिल कर आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूं कि जहां तक मूल निवासियों का ताल्लुक है हमारे भारतीय जहां कहीं भी हैं वह वहां के मूल निवासियों को किसी प्रकार का भी कष्ट देना नहीं चाहते हैं। मगर उन लोगों की आबादी इन देशों में बहुत ही कम है इसलिये में आप से कहना चाहता हूं कि आज हमारी जैसी परिस्थिति है और जैसी परिस्थिति एशियाई देशों की है उस परिस्थिति में हम को भी इन देशों में स्थान मिलना चाहिये।

मैं अन्त में फिर अपने प्रधान मंत्री जी को उन की इस वैदेशिक नीति के लिये हृदय से बधाई देता हूं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि इस नीति का अनुसरण करते हुए और आज हमारे देश का संसार में जो स्थान है उस को देखते हुए और हमारा कामनवैल्थ देशों के साथ जो सम्बन्ध है उस को मद्देनज़र रखते हुए और इस आबादी के प्रश्न को और जो दूसरे प्रश्न हैं उन पर विचार करेंगे। और इन प्रश्नों को विचार करने में यह ख्याल करेंगे कि दुनिया जो आज आधी सुखी है और आधी दुखी है, ऐसी परिस्थिति नहीं चल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं अपने प्रधान मंत्री जी को उन की वैदेशिक नीति

पर फिर बधाई देता हूं और उस का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : इस सरकार की विदेश नीति का सामान्य रूप से समर्थन किया गया है और इसके कुछ आलोचक सदस्यों ने भी कुछ अंश में इसका समर्थन किया है । इसे तटस्थ नीति कहा जाता है । इस नीति के बनाने वालों को भी इसे स्पष्ट करने में कठिनाई होती है । यह कहा जाता है यह प्रतिद्वन्द्वी शक्ति गुट्टों में तटस्थ रहने की नीति है, यह स्वतन्त्र विदेश नीति है और यह शक्तिमान् विदेश नीति ह । किन्तु इस बात की उपेक्षा की गई है कि हमारी नीति कैसे हो सकती है जब कि प्रतिद्वन्द्वी शक्ति गुट्टों के एक गुट्ट के साथी अर्थात् इंगलैंड से राष्ट्र मण्डल द्वारा हमारा सम्बन्ध है । और राष्ट्र मंडल की नीति अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नीति है । हम राष्ट्र मंडल के सदस्य हैं और उसकी नीति का समर्थन करते हैं ।

कांग्रेस दल वाले यह दावा करते हैं कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच वर्ष में जिस विदेश नीति का अनुसरण किया है उस से अन्य राष्ट्रों में हमारा सम्मान बढ़ गया है । किन्तु दक्षिण अफ़्रीका, अपने पड़ौसी लंका, मलाया और ब्रह्मा को देखिये कि वहां हमें कैसा सम्मान मिलता है । हम यह कहते हैं कि विश्व राजनीति में हमारा महत्वपूर्ण स्थान है । किन्तु हमारी इन बातों की कोई परवाह नहीं करता । हम अमेरिका और इंगलैंड से सहायता मांगते हैं । हमारी रक्षा सेनाओं पर ब्रिटिश जनरल स्टाफ़ का प्रभाव है । यदि हमें अपने परामर्श के लिये जनरल और एडमिरल चाहियें तो हमें उन्हें ब्रिटेन से ही क्यों मांगें ?

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम रूस के सैनिक अधिकारियों से परामर्श लें ?

श्री टी० के० चौधरी : मैं साम्यवादी दल का सदस्य नहीं हूं । मैं ऐसा नहीं चाहता । किन्तु क्या यह सत्य नहीं कि जर्मनी के कुछ नाजी विरोधी सैनिक अधिकारियों ने भारत सरकार को अपने देने के लिये कहा था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह सत्य नहीं है ।

श्री टी० के० चौधरी : प्रधान मंत्री हमें यह बतायें कि हम ब्रिटेन से ही विशेष परामर्श क्यों करते हैं ? और शक्तियां भी तो हैं, उन के भी बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हैं । किन्तु हम तो पहिले से राष्ट्र मण्डल, जिसे ब्रिटिश नहीं कहा जाता, में सम्मिलित हो गये हैं । अतः हमें अपनी तटस्थता का घमण्ड नहीं करना चाहिये । एक बार हमारे प्रधान मंत्री ने कोरिया के प्रश्न पर शान्तिपूर्ण नीति से बातचीत करने के लिये स्टैलिन और राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा था । उसका क्या हुआ ? अतः सत्य तो यह है कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी कोई स्थिति नहीं है । हमें एक तृतीय श्रेणी की शक्ति ब्रिटेन का साथी समझा जाता है ।

श्री बी० शिवा राव (दक्षिण कनड़ा— दक्षिण) : अन्तिम वक्ता की बात से मुझे डिजरैली की एक बात याद आती है । एक पुस्तक की आलोचना में इन्होंने लिखा कि इसमें जो नई बात वह सत्य और जो सत्य है वह नई बात नहीं । मुझे उनका भाषण बिल्कुल ऐसा ही लगा । । जहां तक इस वाद-विवाद का सम्बन्ध है साम्यवादी दल ने ६ कटौती प्रस्ताव रखे और रक्षा प्राक्कलन के सम्बन्ध में आज मतविभाजन हुआ । किन्तु उन्होंने आज जो भाषण दिये उनमें विपरीत विचार थे ।

अब मैं वर्तमान चर्चा के विषय वैदेशिक कार्य पर आता हूं । साम्यवादी दल

[श्री बी० शिवा राव]

के एक सदस्य ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह शान्तिपूर्ण नीति का अनुसरण करने में असमर्थ रही। किन्तु जब तक श्री हीरेन मुखर्जी नहीं बोलेंगे तब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि साम्यवादी दल के मस्तिष्क में क्या बातें हैं। साम्यवादी दल ने मुख्य रूप से प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि वे विश्व शान्ति सम्मेलन करने में असमर्थ रहे। किन्तु ऐसा सुझाव देना ही सरल है। प्रत्येक विदेश मंत्री किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने से पूर्व अनुकूल वातावरण का विचार करता है और दूसरे वह यह विचार करता है कि उसमें अन्य देश सम्मिलित होंगे या नहीं। हमारे पड़ौस के एक विदेश मंत्री ने मध्यपूर्व में मुस्लिम गुट्ट बनाने के उद्देश्य से अन्य देशों को निमंत्रित किया। किन्तु वे इसमें नहीं आये। इण्डोनीशिया की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिये प्रधान मंत्री ने दो तीन वर्ष पूर्व एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। उसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। मैं ने यह इसलिये कहा कि कटौती प्रस्ताव में यह कहा गया है कि भारत सरकार अफ्रीका तथा एशिया की पराधीन जातियों के लिये लड़ने में असफल रही।

हिन्देशिया को शीघ्र स्वतन्त्रता दिलाने में भारत ने जो भाग लिया उसे मैं बता चुका हूं। लीबिया को भी प्रायः भारत की अगुआई से स्वतन्त्रता मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब लीबिया का संकल्प प्रस्तुत हुआ तो उस समय बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई तो भारत ने उसमें प्रमुख भाग लिया। लीबिया के शिष्ट मण्डल के नेता ने अफ्रीका और एशिया में स्वाधीनता के संग्राम में भारत के नेतृत्व की बड़ी प्रशंसा की। प्रधान मंत्री पर लगाये गये आरोपों का यह उचित उत्तर है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के अभिलेखों के देखने से यह पता लग सकता है कि प्रधान मंत्री पर लगाये गये आरोप कहां तक ठीक हैं। मैं ने उसकी चार महासभाओं में भाग लिया है अतः मैं इस विश्व संस्था के विषय में प्रथम वक्ता से कुछ अधिक जानता हूं। वहां रूस ने अपने संकल्पों में युद्ध तैयारियों की निन्दा की और कुछ संकल्पों में विश्व शान्ति स्थापना के लिये कहा। भारत ने इसमें शान्ति स्थापना सम्बन्धी बातों का सदैव समर्थन किया। सन् १९५० में शान्ति स्थापना के लिये संयुक्त कार्य करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार भारत का यह मत था कि आक्रमण को रोकने वाले कार्यों को करने से शान्ति स्थापित नहीं होगी किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों को मानने से होगी विशेषकर मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रता और सब देशों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के सिद्धान्तों को मानने से हो गी। भारत ने सदा ऐसे अधिकारों को उचित रूप से मानने के लिये कहा। सोशलिस्ट प्रजा पार्टी के नेता भी १९४९ के राष्ट्र संघ के सत्र में मेरे साथ थे। उन्होंने वहां भारत सरकार के विचारों को बड़ी योग्यता पूर्वक व्यक्त किया, और मैं आशा करता हूं कि मेरी इस बात में वे भी मेरा साथ देंगे। भारत ने सदा ही राष्ट्र संघ के सदस्यों से इन अधिकारों को मानने के लिये कहा और उनसे यह भी कहा कि वे अविकसित क्षेत्रों का विकास करने का भी प्रयत्न करें। भारत का यह भी सुझाव था कि विश्व भर में अस्त्रशस्त्रों को कम कर देने से जो धन बचेगा उसे संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति स्थापना निधि को बनाने तथा अविकसित क्षेत्रों के विकास में लगाया जाय। भारत ने सदैव इन बातों का समर्थन किया

है कि सभी देशों में सैनिक अस्त्रशस्त्रों को कम कर दिया जाय और अणु शक्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिये। कोरिया के मामले में भारत यही कहता आया है कि स्वतन्त्र निर्वाचन के आधार पर स्वतन्त्र तथा संयुक्त कोरिया की रचना की जाय। हाल ही में हमने जापान के साथ भी पृथक् रूप से सन्धि की है।

मैं साम्यवादी दल के सदस्यों के लिये एक बात कहना चाहता हूं। दक्षिण पश्चिमी अफ़्रीका की स्वतन्त्रता दिलाने के लिये भारत ने बड़ा प्रयत्न किया। भारत ने दक्षिण अफ़्रीका से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय मान लेने के लिये भी कहा। इस विषय में मतदान के समय दक्षिण अफ़्रीका ने इसके विरुद्ध मत दिया और रूस के गुट्ट ने भी दक्षिण अफ़्रीका का साथ दिया। विरोधी दल के सदस्यों को यह बात याद रखनी चाहिये। उपनिवेशवाद को समाप्त करने में भारत के समान किसी अन्य देश का इतना सफल प्रयत्न नहीं रहा है। इस विषय में विश्व के बहुत से भाग से परतंत्र जातियों के कृतज्ञतापूर्ण पत्र हमारे पास आते रहते हैं जब से हमें स्वतन्त्रता मिली है, हम ने अपनी विदेश नीति में सदैव विश्व शान्ति को बनाये रखने का प्रयत्न किया है। और उस नीति का पालन करने में कभी तो हमारे साथ पश्चिमी शक्तियां रहीं, कभी रूस का गुट्ट और कभी बिल्कुल अकेले ही रहे। अन्तिम वक्ता ने जो बात कही उस सम्बन्ध में मुझे अपनी अन्तिम बात कहनी है। वह इस बात को नहीं समझ सके कि प्रधान मंत्री की विदेश नीति के कारण कांग्रेस दल के सदस्य क्यों उन की इतनी अधिक प्रशंसा करते हैं। इस सदन में साधारण निर्वाचन के आंकड़ों का बार बार उल्लेख किया गया है। लोक सभा के लिये चुनाव में साम्यवादी दल को कुल मत के २·८ मत मिले। इस पर भी वे इस दल के सदस्यों को प्रधान मंत्री की विदेश नीति के सम्बन्ध में चुनौती देने का साहस करते हैं। चुनाव के दौरे में मैं ने जान कर अपनी विदेश नीति को बहुत महत्व दिया। किन्तु साम्यवादी दल ने क्या किया ? दो सप्ताह बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार को चुनाव से हटा लिया।

श्री नम्बियार (मयूरम) : हम ने चुनाव में बहुत से मंत्रियों को पराजित किया।

श्री बी० शिवा राव : उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं कहता हूं कि प्रधान मंत्री की विदेश नीति को इस सदन में तथा इसके बाहर बहुत अधिक समर्थन प्राप्त है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : आज हम दुनिया में एक अजीब संघर्ष होते देख रहे हैं ; एक प्रकार का चिर शीत युद्ध संसार को परेशान किये हुये है। दो विचार-धाराओं में परस्पर भेद तथा द्वेष की भावना से दुनिया दो अलग-अलग भागों में विभक्त हो गई है—एक अमरीकी गुट्ट और दूसरा रूसी गुट्ट। एक गुट्ट दूसरे पर हावी होना चाहता है। यदि हम दुनिया के सब देशों पर दृष्टि दौड़ायें तो हम देखेंगे कि सब देश—विशेषतया बड़ी-बड़ी शक्तियां—शस्त्रादि इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम युद्ध है। परन्तु युद्ध को कौन रोक सकता है ? रूस, अमरीका या संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिशा में सफल नहीं हो सकता। तो फिर कौन सफल हो सकता है ? मेरा अपना विचार यह है कि भारत संसार में शान्ति-स्थापना का कार्य कर सकता है और उसे यह अवश्य करना चाहिये। दुर्भाग्य से आज भारत एक ऐसी नीति अपनाये हुये है कि वह इस सब तमाशे को देख तो रहा है, किन्तु उसमें कुछ अपना योग नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत को संसार के सारे राजनीतिज्ञों का—विशेषतया

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

दो बड़े गुट्टों के प्रतिनिधियों का—दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाना चाहिये तथा उन दोनों गुट्टों में परस्पर समझौता करवाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये । हो सकता है कि ये दो गुट्ट परस्पर सहमत न हों, परन्तु भारत को उन दोनों में कोई न कोई समझौता कराने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग करना ही चाहिये ।

मैं जानता हूं कि शान्ति कराने का कार्य कोई सरल कार्य नहीं है । हमारे प्रधान मंत्री कह सकते हैं कि हमारे देश में ही इस समय अनेक जटिल समस्यायें प्रस्तुत हैं, अतः इस दशा में हमारे लिये इतने बड़े कार्य का उत्तर-दायित्व ग्रहण करना अत्यधिक कठिन है । मैं मानता हूं कि इस मार्ग में बहुत सी कठि-नाइयां हैं । परन्तु, इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि शान्ति स्थापित करने का यह महान् कार्य केवल भारत ही कर सकता है जिसकी आध्यात्मिक परम्परा और सद्भावना सर्वविदित हैं । हो सकता है हम अपने लक्ष्य में असफल रहें, किन्तु इससे हमें घबड़ाना नहीं चाहिये । शान्ति कराने के महान् कार्य में सफल न होना भी बिल्कुल प्रयत्न न करने से तो अच्छा है ।

इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री को, जो वैदेशिक कार्य मंत्री भी हैं, यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य-पत्र में कुछ फेरबदल करवाने के लिये प्रयत्न आरम्भ करें । यह उद्देश्यपत्र, विशेष रूप से उसकी वे धारायें जो सदस्य देशों के 'विटो' अधिकार से सम्बन्ध रखती हैं, अपने लक्ष्य में असफल रहा है । 'विटो' अधिकार की व्यवस्था ही दुनिया की वर्तमान असुरक्षा के लिये उत्तरदायी है । इसके साथ ही भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय बल स्थापित करने के लिये एक विश्वव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये जिससे दुनिया के सब राष्ट्र, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उसके सदस्य बन सकें ।

अब मैं भारत से उपनिवेशों के समाप्त किये जाने के प्रश्न के सम्बन्ध में दो शब्द कहूंगा । मुझे 'भारत युवक संघ' से एक स्मृतिपत्र प्राप्त हुआ है । उस स्मृति पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया है कि भारत में विदेशी उपनिवेशों के प्रति हमारी नीति असफल रही है । भारत सरकार ने अब तक इन उपनिवेशों को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है । 'भारत-फ्रांस क़रार' हुये भी चार वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु इन बस्तियों में जनमत लेने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इसके अति-रिक्त यह जो समय बेकार खोया जा रहा है उस से फ्रांसीसी सरकार फायदा उठा रही है ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं भारत की तटस्थता के विषय में एक बात कहना चाहता हूं । वास्तव में हम तटस्थ नहीं है । यह तो तटस्थता का दिखावा मात्र है ।

श्री रघुरामय्या (तेनाली) : मैंने डा० लंका सुन्दरम का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना । उनके भाषण को सुन कर मेरे मन में यह विचार आया कि शायद उन्होंने श्री गोपालन का अनुकरण करना चाहा । श्री गोपालन ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वादविवाद आरम्भ करते हुये ऐसा ही भाषण दिया था । डा० लंका सुन्दरम ने कहा कि इस देश की विदेश नीति केवल एक व्यक्ति की कल्पना पर आधारित है । मैं समझता हूं कि ऐसा आरोप लगाना देश का अपमान करना है । मेरी राय में तो हमारी विदेश नीति सारे देश की आकांक्षा

की प्रतिरूप है। गत विश्व युद्ध के पूर्व संसार में शान्ति स्थापित करने के लिए बहुत से प्रयत्न किये गये थे। सर्वप्रथम, निशस्त्रीकरण करने का प्रयत्न किया गया था। फिर राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध त्याग की नीति अपनाने का प्रयत्न किया गया। इस के बाद, स्थानीय सुरक्षा समझौतों द्वारा शान्ति स्थापित करने की चेष्टाएं की गई। लीग आफ़ नेशन्स की स्थापना की गई। परन्तु, ये सब प्रयत्न विफल रहे। अब हमारे सामने संयुक्त राष्ट्र संघ है। हम सब को इससे बड़ी बड़ी आशायें थीं। परन्तु, इसके विभिन्न एककों में परस्पर सहयोग न होने के कारण इसकी प्रगति आरम्भ से ही बाधित रही है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भी अपने विवाद निपटाने की कोशिश की। परन्तु इसने भी अभी तक कोई बड़े विवाद का निपटारा नहीं किया। इस प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हम ने एक ऐसे युग में पदार्पण किया जब कि मानव जाति युद्ध से घबड़ा चुकी थी, और शान्ति स्थापना के नये नये तरीक़ों की खोज में थी। अब हम अपने आप को किसी राष्ट्र विशेष के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि हम अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि हम किसी भी देश के बारे में यह विश्वास नहीं कर सकते कि वह शान्ति की पताका उच्च रखेगा। हर देश में ऐसे व्यक्तियों के सत्तारूढ़ हो जाने की सम्भावना है जो युद्ध का प्रतिपादन करते हैं। राष्ट्रों को चाहिये कि वह प्रत्येक समस्या का हल नैतिक आधार पर निकालने का प्रयत्न करें।

डा० लंका सुन्दरम् ने कहा कि हमारी नीति न तो शक्तिमान है और न ही तटस्थ। जहां तक मैं समझता हूं हमारी नीति अत्यधिक शक्तिमान रही है क्योंकि हमने सारी दुनिया को सोते से जगा दिया है। मैं अपने साम्यवादी मित्रों से कहूंगा कि वे एक भी उदाहरण ऐसा दें जिससे यह प्रकट होता हो कि हम अपने आदर्शों को पूरा नहीं कर पाये हैं। हमारी तटस्थता ऐसी नहीं है कि हम कुछ कर ही न रहे हों। हम एशिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में स्वतन्त्रता का समर्थन करते आये हैं।

हमारे राष्ट्रमंडल के साथ सम्पर्क के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। परन्तु, मैं पूछता हूं कि क्या हमारे राष्ट्रमंडल के साथ सम्पर्क से हमारे चीन, इण्डोनेशिया, दक्षिण अफ़्रीका या दक्षिण-पूर्वी अफ़्रीका के प्रति रुख में अन्तर आया है? क्या राष्ट्रमंडल ने कभी हमें कुछ कहने या करने से रोका है? हम यह नहीं भूल सकते कि अंग्रेजों के साथ हमारा सम्बन्ध रहा है। उस दशा में यदि इस राष्ट्रमंडल का उपयोग मैत्रीपूर्ण सहकार्यता के लिये एक आधार के रूप में किया जा सकता है तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं दिखलाई पड़ती। यह अब ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल नहीं कहलाता। बस, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यदि हमें किसी बात पर गर्व हो सकता है तो वह है हमारी विदेश नीति।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन कल सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित होता है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार १२ जून १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।